राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

प्रगति प्रतिवेदन 2013–14

अनुक्रमणिका

1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अधिकारियों की सूची	1
3.	स्टॉफ (पदों) की सूची	2
4.	राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना	3
5.	आयोग में वित्तीय प्रावधान	4
6.	प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण (तालिकायें)	5–7
7.	विभिन्न परिवाद एवं निर्णय	8–39
8.	माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री एच.आर.कुड़ी द्वारा किये गये निरीक्षण, सभायें एवं मीटिंग का विवरण (01.04.2013 से 31.03.2014)	40–41
9.	आयोग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरण	42
10.	श्रीमान् डॉ. देवराजन द्वारा महत्वपूर्ण मीटिंग्स	43
11.	Detailed of Summer Intership Programme Report (Duration 21st May to 21st June)	44–46
12.	Course Structure of Intership Programme, 2013 (Duration 21st May to 21st June, 2013)	47–50
13.	डी.के. बसु प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश	51–52
10.	राज्य आयोग के कार्य एवं शक्तियां	53–54
11.	आयोग में शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया	55–56
12.	बैठक एवं कार्यशाला का विवरण	57
13.	माननीय श्री एच.आर. कुड़ी	58
14.	माननीय डॉ. एम. के. देवराजन	59
15.	समाचार पत्रों में आयोग की खबरें	60–62
16.	आयोग के दूरभाष नम्बर	63

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक आयोग में कार्यरत माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	अवधि	निवास का पता
1.	श्री एच.आर. कुड़ी	अध्यक्ष	01.09.2011 से लगातार	(बी–3), 1/27, गांधी नगर, जयपुर
2.	डॉ. एम.के. देवराजन	सदस्य	01.09.2011 से लगातार	26, पामकार्ट कॉलोनी, जी.एस. शूटिंग रेंज, जगतपुरा, जयपुर
3.	श्री जंगा श्रीनिवास राव	सचिव	05.10.2011 से	2/25, गांधी नगर, जयपुर
4.	श्री पी.आर. पंडत	सचिव	03.03.2014 से लगातार	II/53, गांधी नगर, जयपुर
5.	श्री जंगा श्रीनिवास राव	महानिरीक्षक पुलिस	05.04.2010 से 07–01–2014 तक	421, नेमीसागर कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर
6.	श्री सौरभ श्रीवास्तव	महानिरीक्षक पुलिस	08.10.2014 से लगातार	421, नेमीसागर कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर जयपुर
7.	श्रीमती संचिता बिश्नोई	उप सचिव	30.03.2012 से लगातार	101, ए–39, तिलक नगर, जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	पद का पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे
1.	अध्यक्ष	एक	एक	कार्यवाहक	90000/- फिक्स
2.	सदस्य	दो	दो	-	80000/- फिक्स
3.	सचिव	एक	एक	-	37000-67000+10000
4.	महानिरीक्षक पुलिस	एक	एक	-	37000-67000+10000
5.	रजिस्ट्रार	एक	-	एक	37000-67000+10000
6.	उप सचिव	एक	एक	-	15600-39100+7600
7.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	एक	एक	-	15600-39100+7600
8.	उप पंजीयक	एक	-	एक	15600-39100+7200
9.	सहायक लेखाधिकारी	एक	-	एक	9300-34800+5400
10.	प्रमुख निजी सचिव	एक	-	एक	9300-34800+10000
11.	निजी सचिव	चार	एक	तीन	15600-39100+6600
12.	निजी सहायक	छः	-	छः	9300-34800+4200
13.	लेखाकार	एक	एक	-	9300-34800+4200
14.	कार्यालय अधीक्षक	एक	-	एक	9300-34800+4200
15.	कार्यालय सहायक	दो	-	दो	9300-34800+3600
16.	प्रोग्रामर	एक	एक	-	9300-34800+5400
17.	सहायक प्रोग्रामर	एक	एक	-	9300-34800+3600
18.	सूचना सहायक	एक	एक	-	9300-34800+2800
19.	उप पुलिस निरीक्षक	दो	-	दो	9300-34800+4200
20.	हेड कानिस्टेबल	एक	-	एक	5200-20200+2800
21.	कानि./अर्दली	तीन	-	तीन	5200-20200+2400
22.	वरिष्ठ लिपिक	छः	तीन	तीन	5200-20200+2800
23.	कनिष्ठ लिपिक	आठ	तीन	पांच	5200-20200+2400
24.	वाहन चालक	छः	चार	दो	5200-20200+2400
25.	प्रोसेस सर्वर	तीन	-	तीन	5200-20200+1650
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दस	दस	-	5200-20200+1650
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक्स सर्विसमैन/होमगार्ड	तीन	तीन	-	-
	कुल योग	**सत्तर**			

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना

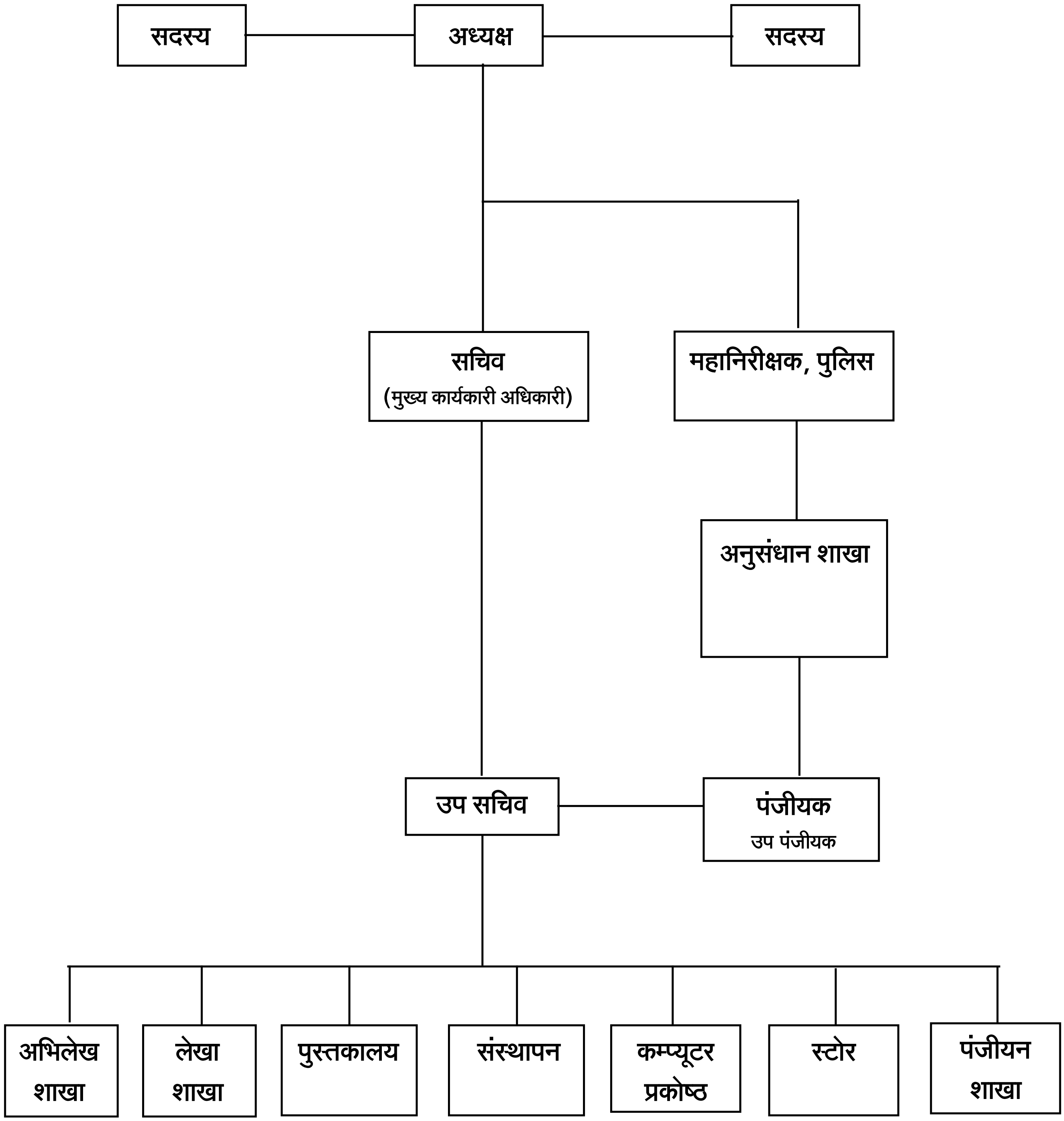

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

बिन्दु संख्या–4

वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

बजट शीर्षक	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 190– सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 102– राज्य मानवाधिकार आयोग 12– सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन (आयोजना भिन्न) 92– सहायतार्थ अनुदान संवेतन (आयोजना भिन्न)

वित्तीय वर्ष 2013–14

मद	**आवंटित बजट/प्रावधान (लाखों में)**	**वास्तविक खर्च (लाखों में)**
वेतन	167.50	169.35
गैर–संवेतन	82.00	73.01
योग	**249.50**	**242.36**

उप सचिव

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्ताति प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण (3–7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	224	92	29	42	1	164	60
2.	अलवर	230	69	32	35	0	136	94
3.	बारां	57	23	12	8	0	43	14
4.	बांसवाड़ा	73	40	9	11	0	60	13
5.	बाड़मेर	73	44	8	8	1	61	12
6.	भरतपुर	207	61	58	16	0	135	72
7.	भीलवाड़ा	126	61	21	18	0	100	26
8.	बीकानेर	158	45	42	24	0	111	47
9.	बूंदी	75	18	25	5	0	48	27
10.	चित्तौड़गढ़	102	48	19	12	0	79	23
11.	चूरू	67	32	6	11	0	49	18
12.	दौसा	168	39	43	29	2	113	55
13.	धौलपुर	87	39	14	10	0	63	24
14.	डूंगरपुर	33	18	1	4	0	23	10
15.	हनुमानगढ़	61	25	2	12	0	39	22
16.	श्रीगंगानगर	107	42	8	27	0	77	30
17.	जयपुर	1010	261	91	241	2	595	415
18.	जैसलमेर	23	8	0	3	0	11	12
19.	जालौर	48	24	4	6	0	34	14
20.	झालावाड़	126	52	29	23	0	104	22
21.	झुंझुनूं	106	40	18	8	0	66	40
22.	जोधपुर	169	46	23	20	0	89	80
23.	करौली	97	26	22	11	0	59	38
24.	कोटा	131	60	11	31	0	102	29
25.	नागौर	173	59	24	17	1	101	72
26.	पाली	172	64	21	28	0	113	59
27.	राजसमन्द	53	9	5	8	0	22	31
28.	स. माधोपुर	101	35	12	18	0	65	36
29.	सीकर	140	47	10	29	0	86	54
30.	सिरोही	50	30	5	3	0	38	12
31.	टोंक	83	20	19	15	0	54	29
32.	उदयपुर	198	77	10	21	0	108	90
33.	प्रतापगढ़	36	17	3	4	0	24	12
34.	राज्य से बाहर	22	18	2	2	0	22	0
	योग	**4586**	**1589**	**638**	**760**	**7**	**2994**	**1592**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

01 अप्रेल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	अजमेर	0	3	9	0	0	0	67	0	2	1	35	107	224
2	अलवर	0	3	3	1	0	0	110	0	1	2	40	70	230
3	बारां	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	10	28	57
4	बांसवाड़ा	0	1	0	2	0	0	13	0	1	1	10	47	73
5	बाड़मेर	1	1	0	0	0	0	12	0	0	1	11	47	73
6	भरतपुर	0	3	5	0	0	0	78	0	1	1	30	89	207
7	भीलवाड़ा	0	2	0	0	0	0	36	0	2	4	14	68	126
8	बीकानेर	1	4	7	0	0	0	34	0	2	0	55	55	158
9	बूंदी	1	0	1	0	0	0	26	1	0	2	13	31	75
10	चित्तौड़गढ़	0	1	1	0	0	0	29	0	1	0	16	54	102
11	चूरू	0	1	3	0	0	0	12	0	0	1	21	29	67
12	दौसा	2	3	1	1	1	0	83	0	1	2	35	39	168
13	धौलपुर	0	1	0	0	1	0	37	0	1	2	7	38	87
14	डूंगरपुर	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	3	17	33
15	हनुमानगढ़	0	3	0	0	0	0	23	0	0	0	5	30	61
16	श्री गंगानगर	1	2	3	0	0	0	38	0	0	1	14	48	107
17	जयपुर	5	21	14	3	0	2	287	1	2	5	369	302	1011
18	जैसलमेर	0	1	0	0	0	0	5	0	2	0	6	9	23
19	जालौर	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	7	25	48
20	झालावाड़	0	1	0	0	0	0	46	0	0	0	9	70	126
21	झुन्झुनू	1	1	1	1	0	0	26	0	1	0	22	53	106
22	जोधपुर	1	7	7	0	0	0	31	0	0	0	55	68	169

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से संबंधित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से संबंधित (900.01से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
23	करौली	0	1	0	1	0	0	29	0	1	0	23	41	96
24	कोटा	1	0	13	1	0	0	44	0	0	0	18	54	131
25	नागौर	0	0	1	1	0	0	51	0	1	2	45	72	173
26	पाली	1	3	0	1	0	0	32	1	3	1	42	88	172
27	राजसमन्द	0	0	1	0	0	0	10	0	4	0	9	29	53
28	सा. माधोपुर	0	1	1	1	2	0	25	0	0	0	30	41	101
29	सीकर	1	1	3	1	0	0	49	0	0	4	24	57	140
30	सिरोही	0	0	1	1	0	0	10	0	0	0	5	33	50
31	टोंक	1	1	2	0	0	0	26	0	0	2	26	25	83
32	उदयपुर	0	2	11	1	0	0	48	0	5	0	36	95	198
33	प्रतापगढ़	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	5	18	36
34	राज्य से बाहर	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	17	22
	कुल :	**17**	**68**	**91**	**17**	**6**	**2**	**1375**	**3**	**31**	**32**	**1052**	**1892**	**4586**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

31 मार्च 2014 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
	कुल :	**8**	**48**	**27**	**10**	**3**	**1**	**517**	**2**	**18**	**12**	**604**	**342**	**1592**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

परिवाद संख्या : 13/01/2565 दिनांक : 15.7.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुड़ी

राजस्थान पत्रिका दिनांक 17.6.2013 में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम से इस वर्ष दो लाख विद्यार्थी खुश नहीं है। इन असन्तुष्ट विद्यार्थियों में से डेढ़ लाख विद्यार्थियों ने संवीक्षा आवेदन, बोर्ड में प्रस्तुत किये है। उक्त समाचार के आधार पर आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अवगत करवाया है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में परीक्षार्थियों की संख्या में 3,06,633 की वृद्धि हुई है। संवीक्षा व उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के आवेदन पत्रों में वर्ष 2012 की तुलना में, वर्ष 2013 में मात्र 2565 आवेदन–पत्रों की वृद्धि हुई है, जो इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण है। वृद्धि होने का यह भी कारण रहा है कि बोर्ड ने संवीक्षा/फोटो प्रति के आवेदन पत्र ई–मित्र के माध्यम से स्वीकार किये है, जिससे गांवों में भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। बोर्ड ने इस नई प्रक्रिया का समाचार–पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार व प्रसार किया है। अधिक आवेदन, परीक्षा परिणाम से असंन्तुष्ट होने के कारण नहीं वरन् बोर्ड द्वारा पूर्ण पारदर्शिता, व्यापक प्रचार–प्रसार व दुरस्थ स्थानों पर आवेदन की सुविधा प्रदान करने के कारण है। 3 लाख परीक्षार्थियों की वृद्धि के बावजूद आवेदनों की अधिक वृद्धि नहीं हुई है। समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार भ्रामक व तथ्यहीन है। गत वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है। बोर्ड ने पत्र में वर्ष 2012 व 2013 के परिणाम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है।

बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणामों के बारे में दिन–प्रतिदिन आयोग में प्राप्त परिवाद एवं समाचारों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में कही ना कही दोष है। आयोग में इस प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हुई है कि दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण कई छात्र अवसाद में आ गये है तथा कई छात्रों ने कुछ समय के लिये खाना–पीना छोड़ दिया है। अतः राज्य सरकार शिक्षाविद्ों की समिति गठित कर, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रणाली का पुनः विश्लेषण करवाकर, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि परीक्षार्थियों के साथ पूर्णरूप से न्याय हो सके। इस आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

उक्तानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

(एच.आर. कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/298 दिनांक : 06.08.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष, श्री एच.आर. कुडी

पुलिस उपायुक्त पूर्व, जयपुर व महानिदेशालय, कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

इस मामले में आयोग ने दिनांक 29.12.2011 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''मारपीट से बचना है तो 50 हजार रुपये दो'' पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

पुलिस उपायुक्त पूर्व द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार परिवादी राजेन्द्र कुमार, निवासी सरकारी अस्पताल के पास, ग्राम अचरोल, जिला जयपुर ने पुलिस थाना लालकोठी, जयपुर में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसका भाई मदनलाल एवं भतीजा रोहित दहेज के मामले में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दिनांक 7.12.2011 से बन्द है। जेल में बन्द रोहित सुरी नाम का बन्दी उन्हें बार–बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रुपयों की मांग करता है। रोहित सुरी, जेल परिसर में परिवादी के मोबाईल नम्बर पर बार–बार बातचीत कर कहता है कि जेल के बाहर लालसिंह नाम का व्यक्ति मिलेगा, जिसे 50,000/– हजार रुपये दे देना। उसने लालसिंह के मोबाइल नम्बर भी उसे बताये। दिनांक 27.12.2011 को वह जेल परिसर में गया, वहां उसे लालसिंह नाम का व्यक्ति मिला। जब परिवादी ने उसे कहा कि वह जेल प्रशासन से शिकायत करेगा, तो वह भाग गया। रोहित सुरी के आतंक से उसका भाई व भतीजा भयभीत है, वे कहते हैं कि रोहित सुरी बहुत खतरनाक व्यक्ति है। उसे रुपये नहीं देने पर वह उनको जेल में मार देगा या मरवा देगा। उसने उक्त घटना की सूचना जेल प्रशासन को भी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/11, अन्तर्गत धारा 384 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त रोहित सुरी व लालसिंह द्वारा भा.द.स. की दारा 384 का अपराध कारित करना पाया जाने पर, उनके विरुद्ध दिनांक 14.4.2012 को न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ने अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से तथा उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर से इस मामले की प्रशासनिक जांच करवाई है। उप महानिरीक्षक, कारागार ने जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि जांच के दौरान इस बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई कि रोहित सुरी की जेल कर्मियों से मिली भगत थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके बैरिक की सघन तलाशी ली किन्तु उससे मोबाइल बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल के बारे में पूछताछ की, किन्तु उससे मोबाइल बरामद नहीं हो सका। उसके पास मोबाइल था किन्तु उसने मोबाइल व

सिम नष्ट कर दी। जांच से किसी अधिकारी की लापरवाही भी साबित नहीं हुई।

पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त रोहित सुरी के पास जेल में मोबाइल था, जिससे उसने परिवादी से तीन बार बातचीत कर लालसिंह अभियुक्त को 50 हजार रुपये देने के लिए कहा है। यह चिन्ता का विषय है कि बन्दी जेल में मोबाइल रखते है तथा वे जेल में रहते हुए अन्य बन्दियों से अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों से रुपये मंगवाने के लिए दबाव डालते हैं तथा वे जेल में बैठे–बैठे इन आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं।

आयोग का सुझाव है कि कारागार प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। कारागृहों में क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाये जाकर, गम्भीर प्रकृति के अपराधियों की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए। कारागृह में जैमर लगाये जाकर, कारागृह में मोबाइल के उपयोग पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाना चाहिए। कारागृह में प्रवेश के समय बन्दियों की सघन तलाशी ली जावे तथा उनसे जेल में मिलने वाले व्यक्तियों पर जेल, अधिकारियों द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे कि वे बन्दियों से मिलते समय उन्हें मोबाइल या सिम नहीं दे सके।

चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 384 के अपराधों के आरोप की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ परिवाद पत्रित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जावे।

(एच.आर.कुडी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/27/2158 दिनांक : 13.08.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

जिला कलेक्टर, राजसमन्द से वांछित रिपोर्ट हेतु स्मरण–पत्र जारी किया जाये। प्रार्थिया भूरी पत्नी नाथू जी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र दि. 06.07.2013 जिला कलेक्टर को भेजा जाकर इस संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को अवगत कराने हेतु लिखा जाये।

2. उप सचिव, सी.एम.आर.एफ., मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रांक 42 (1) मुमं./सहा./2013, दिनांक 01.7.2013 का अवलोकन किया जिसके अनुसार श्री लक्ष्मण पुत्र श्री नाथू बागरिया, श्रीमती सायरी पत्नी श्री नाथू बागरिया, श्री मांगीलाल पुत्र श्री नाथू बागरिया, श्री भोजा पुत्र श्री नाथू बागरिया, श्रीमती नारायण हिरी पुत्री श्री नाथू बागरिया, श्रीमती भूरी पत्नी श्री नाथू बागरिया को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 10–10 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। अतः यह प्रकरण रिपोर्टेबल (Reportable) रहेगा।

परिवाद दिनांक 15.10.2013 को प्रस्तुत करें।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 11/15/3335 दिनांक : 16.08.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष, श्री एच.आर. कुडी

परिवादी विजयसिंह किरोड़ीलाल ने आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया है कि इन्दिरा गांधी नहर में आये हुए शवों को पुलिस विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मसीतावाली हैड (टिब्बी) के गेट खोलकर नहर में आगे बहा दिया जाता है। शवों को नहर में बहा देना न केवल अपराध है वरन् मानवता एवं मानवीय मूल्यों को स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त परिवाद पर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने अवगत करवाया कि इन्दिरा गांधी नहर फीडर हरियाणा एवं पंजाब राज्यों से बहकर आती है। नहर की चौड़ाई करीब 200 फीट एवं गहराई लगभग 21 फीट है, जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज रहता है। नहर में पीछे से काफी मात्रा में केली घास एवं मृत पशु आते हैं, कई बार मानव शव भी पानी में बहकर आते हैं। हैड के मुख्य नहर पर पांच गेट है, जिनमें से तीन गेट खराब होने के कारण बन्द है। खुले हुए दो गेटों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। इन गेटों पर पीछे से बहकर आई केली एवं घास काफी अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, जिसमें कई बार मानव शव व पशु फंस जाते है, जो काफी ज्यादा सडी गली हालत में होते है। नहर के हैड पर जल संसाधन विभाग का कोई प्रशिक्षित तैराक या गोताखोर नियुक्त नहीं है और न ही नहर में उतरने के लिए अन्य कोई साधन है, जिसकी सहायता से नहर में आई लाशों को निकाला जा सके। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण आम आदमी पानी के तेज बहाव में उतरने से डरता है। जब तक तैराक/गोताखोर की व्यवस्था की जाती है। तब तक शव बहाव

के कारण काफी आगे निकल जाता है। पुलिस चौकी मसीतावाली हैड से कुछ दूरी पर है भी नहर पर उपस्थित कर्मचारी द्वारा नहर में लाश आने की सूचना चौकी पर देने पर, चौकी प्रभारी द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट दर्ज कर, कार्यवाही की जाती है। अगर किसी शव पर पहचान से संबंधित कोई वस्तु मिलती है तो उसकी सहायता से लाश से वारिसान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। वारिस न मिलने पर जन सहयोग से अन्तिम संस्कार किया जाता है। कई दिन पानी में बहकर आने से व पानी के जानवरों द्वारा शव को खाने के कारण कई बार शव कंकाल के रूप में आता है, जिससे शव पहचान योग्य नहीं रह जाता।

जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने यह भी अवगत करवाया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी से इस मामले में जांच करवाई गई। पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों को बहाव के साथ आने वाले शवों का नियमानुसार निस्तारण करने के लिए पाबन्द किया गया है। हल्का पटवारी को भी पूर्ण सावधानी बरतने के लिए निर्देश प्रदान किये गये है। सहायक अभियन्ता रेगुलेशन (खण्ड प्रथम) तलवाड़ा झील को समय–समय पर निरीक्षण करने एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है। हैड पर पुलिस चौकी एवं आमजन के सहयोग से शव निकाले जाते हैं। किसी भी शव की दुर्गती नहीं की जाती वरन् आमजन के सहयोग से शव का अन्तिम संस्कार किया जाता है। जल संसाधन विभाग एवं पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी इस कार्य में दोषी नहीं पाया गया है। वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक पीछे से बहकर आये शवों के संबंध में पुलिस को पांच बार सूचना मिली, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

निर्विवाद रूप से नहर में काफी शव बहकर आते है। उनका सम्माननीय तरीके से अन्तिम संस्कार करने के लिए आयोग का सुझाव है कि–

(1) जल संसाधन विभाग शवों को नहर से निकालने के लिए गोताखोर का पद सृजित करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

(2) शवों का सम्माननीय तरीके से अन्तिम संस्कार करवाने के कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं, व्यापारियों, समाज सेवकों की सहायता लेने का प्रयास किया जावे।

(3) समाज सेवकों, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, परिवादी श्री विजय सिंह किरोड़ीवाल, पुलिस तथा प्रशासन का संयुक्त दल बनाया जाकर, दल के सुझाव अनुसार कार्यवाही की जावे।

(4) जब तक राज्य सरकार द्वारा गोताखोर का पद सृजित नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी गैर सरकारी संस्था से गोताखोर लगवाने का प्रयास किया जावे।

(5) हर संभव यह प्रयत्न किया जावे कि कोई भी शव हैड से आगे बहकर न जा सके।

(6) पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार परिवाद पत्रित किया जाता है। परिवाद की प्रति परिवादी को प्रेषित की जावे।

(एच.आर.कुडी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 11/23/2758 दिनांक : 21.08.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

प्रकरण के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस प्रकरण के सम्बन्ध में श्री बी.एल. जाटावत, जिला कलेक्टर, करौली द्वारा अवगत कराया गया कि इस घटना के लिये डॉ. जी.एन. अग्रवाल की किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है। आयोग की अनुशंषा पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 28 (2) चिस्वा/2/2012 द्वारा समस्त सम्बन्धित को निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु ओपीडी में आने एवं भर्ती हेतु आने पर उनकी पर्ची बनाने के समय बर्बाद नहीं करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी पर्ची बनाने में समय बर्बाद नहीं करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ईलाज की व्यवस्था की जावे तथा भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया वाद में की जावे। अनावश्यक रूप से आयोग को दस्तावेजों की प्रति भेजने तथा अपठनीय दस्तावेजों की प्रति भेजने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दोनों की ताकीद किया गया। इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण पत्रित किया जाता है। प्रकरण Reportable रहेगा।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 12/31/1101 दिनांक : 05.09.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

आयोग के आदेश दिनांक 18.02.2013 की पालना में पीड़ित श्री शंकरलाल नाथ, ग्राम करीरिया, तहसील निवाई,

जिला टोंक को विद्युत लाईन का तार गिरकर मकान में आग लगने से हुए नुकसान के लिए राशि रुपये 23,000/– (अक्षरे तेईस हजार रुपये) मुआवजे के रूप में विद्युत निगम द्वारा दिये जा चुके हैं तथा आयोग को गलत रिपोर्ट भेजने के लिए दोषी श्री के.सी. माली, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ–प्रथम) जयपुर डिस्कॉम, निवाई के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। परिवाद में आयोग स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अतः परिवाद इसी स्तर पर पत्रित किया जाता है। सभी सम्बन्धितों को तद्नुसार सूचित किया जावे। यह प्रकरण Reportable रहेगा।

(डॉ. एम. के. देवराजन)

सदस्य

परिवाद संख्या : 13/12/1854 दिनांक : 09.09.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

पुलिस अधीक्षक, दौसा की रिपोर्ट 26128, दिनांक 27.08.2013 का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया है कि *'जन आक्रोश को देखते हुए मुलाजमानो को थाना सदर से हटाया गया था, क्योंकि मीणा समाज में इस आत्महत्या को लेकर भारी रोस था तथा वे लोग डेड बाडी लेने को भी तैयार नहीं थे, अतः कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए थानाधिकारी श्री अमित कुमार उ.नि. व श्री गंगाबिशन सहायक उप निरीक्षक तथा श्री भूपसिंह कानि. का स्थानान्तरण पुलिस लाईन दौसा में किया गया था*, पुलिस अधीक्षक ने अपनी पूर्व रिपोर्ट सं. 16411, दिनांक 14.6.2013 में अंकित किया था कि *''पुलिस द्वारा मृतक तेजाराम को बिल्कुल ही तंग परेशान नहीं किया गया है। थानाधिकारी, थाना सदर, दौसा व अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आकर और ना ही किसी भी व्यक्ति की गलत सिफारिश को इस संबंध में नहीं माना गया था जबकि निष्पक्ष तफतीश करके दोषियों को पकड़कर उनके कब्जे में से चोरी गया माल बरामद किया गया था। मृतक श्री तेजाराम मीणा को ना तो थाने पर बुलाकर ना ही किसी अन्य जगह तंग व परेशान किया गया था।''*

2. एक तरफ पुलिस अधीक्षक, यह मान रहे है कि इस प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी की गलती नहीं है दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि जन आक्रोश को देखकर उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस लाइन में स्थानान्तरण किया है। इस तरह जनता के जिद के कारण अथवा उनके दबाव में आकर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानातरण करना शुरू कर देंगे तो स्वार्थी तत्व पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर बार–बार ऐसे स्थानान्तरण

करवाते रहेंगे। इस तरह स्थानान्तरण करना राजस्थान पुलिस अधिनियम के सेवा अवधि संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानव अधिकार एवं गरिमा का उल्लंघन भी है तथा इसका पुलिस के मनोबल पर असर पड़ेगा। अतः यह मामला यथोचित कार्यवाही हेतु महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर तथा महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर के ध्यान में लाया जाये। उन्हें दोनों प्रासंगिक रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाये। प्रकरण आयोग में पत्रित किया जाता है।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 12/17/4400 दिनांक : 13.09.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर.कुडी

इस प्रकरण में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उक्त दिवस को खाने में बदबू आने की पुष्टि हुई एवं खाना वितरित नहीं किया गया। उक्त घटना के दिन संस्था प्रधान के द्वारा खुद अक्षय पात्र फाउण्डेशन के कर्मचारियों को शाला में तलब किया तथा उन्होंने स्वयं ने माना कि यह खाना खराब है इसमें बदबू आ रही है, शाला के बच्चों ने भी इसकी पुष्टि की। इस प्रकार अध्यक्ष, अक्षयपात्र फाउन्डेशन, जयपुर की पोषाहार कार्यक्रम के प्रति एक गंभीर लापरवाही पाई गई जिस बाबत् उक्त संस्थान को इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो की पुख्ता व्यवस्था करने एवं पोषाहार वितरण करने से पूर्व अपने स्तर पर गुणवत्ता की जांच करने के उपरान्त ही पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये तथा भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की गई तो एम.ओ.यू. के अन्तर्गत कार्यवाही करने की हिदायत दी गयी इत्यादि।

प्रकरण के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के अनुसार मिड डे मील फाउण्डेशन द्वारा विभाग को भिजवाये गये अपने स्पष्टीकरण में बताया गया कि मिड डे मील में बच्चों को उपलब्ध करायी जाने वाली दाल को और अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट बनाने के लिए संस्था द्वारा इस दिन एक कोल्ड्रॉन (कुकर) में प्रयोग के तौर पर दाल में टमाटर प्यूरी की मात्रा बढ़ाई गई थी, इस टमाटर प्यूरी के कारण

दाल में खट्टापन ज्यादा हो गया, इस दिन कोल्ड्रॉन से जिन विद्यालयों में दाल भेजी गई थी, केवल उन्हीं विद्यालयों से दाल में खट्टेपन की शिकायत प्राप्त हुई थी, अन्य किसी भी विद्यालय से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संस्था द्वारा विभिन्न स्तरों पर भोजन की गुणवत्ता व सुरक्षा की जांच बाह्य लैब से अलग–अलग परिस्थितियों (जैसे दाल बनने के समय, विद्यालय में वितरण के समय, बच्चों को खिलाने के समय) आवश्यक जांच भी करवाई गई है। संस्थान द्वारा अपने रसोई घर में खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली ISO 22000 : 2005 का दृढ़ता से व अनुशासनपूर्वक पालन किया जाता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ विभागों व शिक्षण संस्थाओं को भविष्य में पोषाहार की गुणवत्ता एवं वितरण पर आवश्यक सावधानी बरतने एवं इस प्रकार के किसी भी प्रकरण की पुनरावृत्ति न होने पाए, इस बात का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है इत्यादि।

उपरोक्त दोनों तथ्यात्मक रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के संबंध में किसी भी स्तर पर चूक क्यों नहीं हुई हो, 'मिड डे मील' योजना के क्रियान्वयन के लिये लोक सेवकों की लापरवाही रही है।

चूंकि राज्य के शिक्षण संस्थानों के बालक–बलिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुये ही 'मिड–डे मील' योजना राज्य सरकार की ओर से प्रारम्भ की गयी है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्यों न हो, मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ की पूरी–पूरी सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जिला कलक्टर, जयपुर एवं आयुक्त मिड डे मील, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य की इस जन कल्याणकारी योजना के संबंध में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय कर सफल क्रियान्विति के प्रयास किये जावें, जिससे भविष्य में निर्बोध बालक–बालिकाओं के जीवन के साथ किसी तरह की खिलवाड़ न हो।

उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण पत्रित किया जाता है।

एच.आर. कुडी

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/1180 दिनांक : 20.09.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

परिवादी, राज्य सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ एवं वृद्ध नागरिक, डॉ. गोपाल मंत्री ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर अपने स्वयं

के साथ–साथ राज्य के आम वरिष्ठ एवं वृद्धजनों की पीड़ा व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि वह वृद्धता के कारण आयु के अन्तिम पड़ाव में Asthma/Hypertension/Lumarbor-Stanosis/spinal sponeylities जैसे रोगों से ग्रसित होने एवं शरीर में अत्यधिक कष्ट/पीड़ा बढ़ जाने के कारण चलने–फिरने में असमर्थ है, वह चिकित्सकों की राय के अनुसार विश्राम के लिये मजबूर होकर बिस्तर से उठने की क्षमता तक नहीं रखते है। राज्य सरकार द्वारा समाचार–पत्रों के जरिये प्रत्येक नागरिक को आधारकार्ड बनाने की अनिवार्यता प्रकट करते हुये बहुआयामी कार्ड (आधार कार्ड) बनवाने के निर्देश दिये हैं जिसके आधार पर ही प्रत्येक नागरिक की मूलभूत पहचान के साथ–साथ उसको देय सरकारी लाभ निर्भर रहेंगे।

चूंकि आधार कार्ड बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा Information Technology & Communication Department को अधिकृत किया हुआ है जिसके द्वारा कुछ नियत सरकारी कार्यालयों में ही आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं, इन सरकारी विभागों में आधार कार्ड बनाने का कैंप दूसरे या तीसरे तल्ले पर नियत कमरों में लगाया जा रहा है जहां पर किसी भी निःशक्त/रोगी/वृद्ध/वरिष्ठ नागरिक का चढ़ना उतरना भी भारी है, साथ ही आमजन की भीड़ को देखते हुये ऐसे लोगों का वहां तक पहुंचना और भी कठिन है। अतः निःशक्तजन एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिये आधारकार्ड बनाने हेतु मोबाईल यूनिट बनाकर उपरोक्त श्रेणी के लोगों को अपने अधिकारों के उपयोग के साथ–साथ उनकी अक्षमता को राहत मिल सके, इत्यादि।

उपरोक्त परिवाद एवं आम असमर्थ लोगों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुये आयोग की ओर से दिनांक 28.03.2013 को प्रसंज्ञान लिया जाकर राज्य के मुख्य सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके क्रम में राज्य के Information Technology & Communication Department के विशेषाधिकारी, यू.आई.डी. की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें पूर्णतया परिवादी द्वारा उठाये गये मुद्‌दों को स्वीकार किया है तथा समाधान के लिये इस संबंध में अपनी कार्ययोजना व्यक्त की गयी है कि जयपुर शहर में दो मोबाईल वैन शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी, जिनके ड्राईवरों के पद स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में विचाराधीन है, राज्य में लगभग 500 स्थाई नामांकन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिनके टेंडर प्रक्रियाधीन हैं, पैशन समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता कर पेंशनर्स के लिए विशेष नामांकन कैंप स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है इत्यादि।

उपरोक्त रिपोर्ट की प्रति परिवादी को प्रेषित किये जाने पर उसने अपनी प्रतिक्रिया में 6 अगस्त, 2013 को आधार कार्ड बनना स्वीकार किया है।

चूंकि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक की सभी आयामों की पहचान आधारकार्ड से ही माने के निर्देश है, ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा योजना संचालित करने से पूर्व संबंधित विभाग को उपरोक्त श्रेणी के निःशक्त/वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों के आधार कार्ड बनाने हेतु मोबाईल यूनिटों की भी संरचना की जानी चाहिये थी, किन्तु प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त श्रेणी के लोगों के संबंध में विभाग का ध्यान ही नहीं गया तथा आयोग द्वारा प्रसंज्ञान

लेने के उपरान्त इस संबंध में मोबाईल यूनिटों की संरचना बाबत् प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

प्रायः राज्य द्वारा जनकल्याण एवं आम आदमी को सहज जीवन जीने तथा उसकी गरिमा को बनाये रखने के लिये अनेक प्रकार की योजनायें लागू की जाती है जिनके क्रियान्वयन का पूर्ण दायित्व संबंधित शीर्ष लोकसेवकों का होता है, किन्तु जैसा कि उपरोक्त मामले में विभाग की ओर से आज तक ऐसे लोगों की सुविधा के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है तथा कार्य योजनायें एवं प्रस्ताव ही कागजों में चल रहे हैं जिससे कि ऐसे लोगों को आधार कार्ड में कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं।

अतः यह आयोग इसे गंभीरता से लेता है एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना तकनीकी एवं प्रसारण विभाग, राजस्थान सरकार को निर्देशित करता है कि वह इस संबंध में तत्परता से कार्यवाही कर राज्य के निःशक्त/वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा को भांपते हुये इस संबंध में कार्ययोजना बनाते हुये अपने अधीनस्थ/संबंधित विभाग को निर्देशित करें, जिससे कि इस अनिवार्य कार्य योजना को क्रियान्वयन करते समय विशेष रूप से प्रत्येक गांव/ढाणी/शहर में कोई भी शारीरिक रूप से असक्षम वृद्ध व्यक्ति आधारकार्ड बनाने से वंचित नहीं रह पावे।

उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/2671 दिनांक : 20.09.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

दिनांक 30.07.2012 के दैनिक भास्कर समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **''कैंसर बांट रहे पान–मसाले की जांच भी नहीं करा रही सरकार''** के आधार पर इस आयोग द्वारा दिनांक 07.08.2013 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर समाचार–पत्र की कतरन जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। प्रकरण के संबंध में समय–समय पर जिला कलक्टर, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों की रोशनी में आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों का व्यक्तिगत परीक्षण किया जाना मुनासिब माना जाकर तलब किया, जिसके क्रम में आज जिला कलक्टर, जयपुर की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर शहर दक्षिण श्रीमती आशु चौधरी तथा डॉ. ओ.पी. थाकन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम एवं श्री सुशील

चौखानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर उपस्थित।

उपस्थित अधिकारीगण को विस्तार से सुना गया तथा संबंधित कानून एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.10.2012 के अनुसार आयुक्त (खाद्य) सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011 के अध्याय विक्रय प्रतिषेध और निर्वचन विनियम, 2, 3, 4 की पालना में विशेष अभियान चलाकर पान–मसाला, गुटका एवं खाद्य पदार्थ जिनके संघटक के रूप में तम्बाकू या निकोटिन का उपयोग किया जा रहा है, के नमूनीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की गयी अभियान के दौरान पान–मसाला के 13 नमूने विभिन्न प्रचलित ब्रांडों के लिये गये, जिनमें चार ब्राण्डों की जांच मानक स्तर पर पाई गई शेष 9 की जांच रिपोर्ट लंबित है तथा अभियान के दौरान 5.5 लाख गुटखा पाउच विभिन्न फर्मों से जब्त कर नष्ट करवाये गये। पुनः जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2013 के अनुसार दुबारा अभियान चलाकर पान–मसाला/सुपारी के 14 नमूने विभिन्न प्रचलित ब्राण्डों के लिये गये, जिनमें से बाद जांच आठ नमूने मानक स्तर के एवं 6 नमूने अमानक स्तर के पाये गये तथा 14 लाख गुटखा पाउच विभिन्न फर्मो से जब्त कर नष्ट करवाये गये तथा 6 अमानक स्तर के ब्राण्डों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में चार ब्राण्डों के विरुद्ध अनुसंधान प्रक्रिया जेरतजबीज तथा दो ब्राण्डों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शेष होना अंकित किया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर गुटखा एवं अन्य खाद्य पदार्थ, जिनमें निकोटिन या तम्बाकू का उपयोग किया जा रहा हो, ऐसे प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55, 58 एवं 59 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गयी है।

अतः इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपस्थित अधिकारीगण को सुने जाने के पश्चात् राज्य के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाता है, खाद्य अपमिश्रण के मामलों में राज्य में नियमित चैकिंग एवं जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् प्रकरण को लंबित रखे जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 11 /17/2585 दिनांक : 25.09.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुडी

प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 12.9.2013 का अवलोकन किया गया।

दिनांक 20.3.2013 को पारित आदेश के द्वारा आयोग ने चिकित्सा अधीक्षण सवाई मानसिंह अस्पताल को यह सुझाव दिया था कि अस्पताल प्रशासन किसी एन.जी.ओ. की सहायता से अस्पताल में लावारिस हालत में पड़े हुए रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार करने पर विचार करे। अस्पताल प्रशासन ने इस बारे में संकल्प समूह सेवा संस्थान से सम्पर्क किया था किन्तु संस्थान ने अज्ञात/लावारिस मरीजों के देखभाल के लिए सहमति प्रेषित नहीं की। इसलिए चिकित्सा अधीक्षक ने आदेश दिनांक 7.9.2013 के द्वारा 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती होने वाले अज्ञात/लावारिस मरीजों की जानकारी कर, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायेगी तथा 24 घंटे नर्सिंग स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से उनकी देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध करवायेगी। कमेटी मरीजों की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट से चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगी।

चिकित्सा अधीक्षक ने अज्ञात/लावारिस मरीजों की देखभाल के लिए कमेटी गठित कर प्रशंसनीय कार्य किया है। आयोग यह अपेक्षा करता है, अस्पताल प्रशासन कमेटी से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर, कमेटी के कार्य पर निरंतर निगरानी रखेगा। इसी निर्देश के साथ पत्रावली पत्रित की जाती है। आदेश की प्रति प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित की जावे।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/12/2283 दिनांक : 4.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

पुलिस अधीक्षक, दौसा की रिपोर्ट 29272, दिनांक 30.9.2013 का अवलोकन किया। अति. पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा की गई जांच से दिनांक 25.5.2013 को रास्ता जाम होने की रिपोर्ट का समर्थन नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक,

दौसा द्वारा अपने आदेश 62801035 दिनांक 26.9.2013 सभी अधीनस्थ अधिकारियों को रास्ता रोकने वाले मामलों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक को लिखा जाये कि पूर्व में आयोग द्वारा यह लिखा गया था कि जिला पुलिस दौसा के अधिकारियों में रास्ता रोकने वाले मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में इच्छा शक्ति की सख्त कमी है। एक मामला ऐसा भी आयोग के सामने आया था, जिसमें 24 घंटे हाईवे जाम करने के बाद भी जब तक आयोग का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, तब तक अपराध दर्ज नहीं किया गया था। भविष्य में रास्ता रोकने के प्रकरणों में अपराध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही नहीं करने की हालत में प्रत्येक ऐसे प्रकरण के संबंध में आयोग संबंधित थानाधिकारी, वृत्त अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध धारा 13 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने के लिए विवश होगा। इस निर्देश के साथ प्रकरण पत्रित किया जाता है, इस आदेश की एक–एक प्रति महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज तथा पुलिस अधीक्षक, दौसा को भेजी जाये।

(डॉ. एम.के. देवराजन)

सदस्य

परिवाद संख्या : 12/32/2468 दिनांक : 10.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

<u>माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर.कुडी</u>

इस प्रकरण में दैनिक भास्कर समाचार–पत्र दिनांक 23.07.2013 में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''महिला–पुरुष को पेड़ से बांधकर पिटाई, महिला को निर्वस्त्र किया''– जुल्म की इंतहा– उदयपुर के कोलर गांव में जातीय पंचायत का 4 घंटे तालिबानी बर्ताव, पुलिस पर पथराव, खुद ही फैसला करने पर अड़ी पंचायत'' समाचार की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2012 को स्वप्रेरणा से विस्तृत आदेश द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर समाचार–पत्र की कतरन जिला कलक्टर, उदयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। पुलिस ने भी तत्परता से कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना सराड़ा में प्रकरण संख्या 165/2012 धारा 147, 149, 365, 342, 354, 504 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं प्रकरण संख्या 166/2012 धारा 147, 149, 332 33, 283 भा.दं.संहिता व 3 पी.डी.पी.पी.एक्ट दर्ज किये गये तथा बाद अनुसंधान दोनों ही प्रकरणों में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये।

जिला कलक्टर, उदयपुर की ओर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार घटना की जानकारी पर राज्य सरकार के

निर्देशानुसार संभागीय आयुक्त, उदयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के नियम–8 के तहत आवेदन–पत्र एवं अमानवीय दुर्व्यवहार का शिकार होने पर यदि पीड़िता घटना के दिन से 1 वर्ष के भीतर सहायता के लिये आवेदन करती है तो उसे आर्थिक सहायता के रूप में 25,000/– रु. दिए जाने का प्रावधान है जिसके क्रम में पीड़ित महिला से आवेदन–पत्र शपथ–पत्र एवं एफ.आई.आर. की प्रति सहित दिनांक 03.08.2012 को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेंशन न्यायालय) में प्रस्तुत कर दिया गया है जो विचारार्थ पैण्डिंग है।

घटना के क्रम में पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के निर्देशन में खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी, सराड़ा से करवाई गई तथा पीड़िता को आवश्यक दवाईयों उपलब्ध कराई गई तथा पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक होना बताया तथा उसकी दिमागी हालात भी बिल्कुल ठीक होना तथा उसे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता नहीं होने बाबत् अवगत कराया। पीड़िता अपने पीहर में रह रही है एवं उसने वहीं रहने की इच्छा जाहिर की है एवं वह पीहर पक्ष में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

अनेकों कानूनों/नियमों/प्रतिबंधों के बावजूद राज्य में अभी जातीय पंचायतों का बोलबाला है, आज भी सभी जातियों में कम या ज्यादा अपने–अपने समाज में स्वयंभू पंच पटेलों का फरमान अंतिम होता है। राज्य के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों एवं गांवों में अपनी–अपनी पुरानपंथी मान्यताओं को आधार बनाकर फरमान जारी किये जाते हैं, खासकर इन समाजों में महिलाओं के प्रति दकियानूसी सोच के चलते ज्यादतियां ज्यादा देखने में आती हैं, यह लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रशासन का सामना करने को भी तैयार रहते हैं तथा अपनी कार्यशैली में या अपने आदेशों में पुलिस प्रशासन की दखलंदाजी को नकारते हुए मरने–मारने पर उतारू हो जाते हैं।

यह प्रकरण एक विवाहिता के अपने पड़ौसी के साथ 15 दिन तक घर से बाहर चले जाने मात्र का है, जिसे संबंधों शक में दोनों को धोखे से बुलाकर चार घण्टे तक पेड़ से बांध दिया, दोनों के बाल काट दिये तथा महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर दिया, यह सारे कृत्य घोर अमानवीयता एवं स्त्री जाति की गरिमा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो आज के युग में सोचनीय बिन्दु है। ऐसी जातीय पंचायतों को रोकने में स्थानीय पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में विशेष ध्यान जाना बहुत ही आवश्यक है, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में शिक्षा तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे समाजों को मनोवैज्ञानिक रूप से जागरुक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिये राज्य सरकार की ओर से पहल की आवश्यकता है।

इस प्रकरण में यद्यपि पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्तों को सिखचों में डाल दिया है एवं प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन है, किन्तु पीड़िता की अस्मिता की क्षतिपूर्ति दिये जाने वाली राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ विचारार्थ है, जिसे पीड़िता को शीघ्र दिलाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रकरणों में राज्य को नीति निर्धारित कर लोगों को शीघ्र क्षतिपूर्ति दिलानी चाहिये।

प्रकरण की जांच के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त स्तर से शीघ्र जांच करवा कर तत्परता से कार्यवाही किये जाने से ऐसे प्रकरणों में दोषियों को दण्ड एवं पीड़ितों को राहत मिलती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले पंच पटेलों में ऐसे कृत्यों के लिये भय व्याप्त होता है।

अतः इस आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर से राज्य के जिला कलक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करें कि वह अपने–अपने क्षेत्रों में पूर्ण सजगता बरतते हुये जातीय पंचायतों के संबंध में सजगता बरतते हुये तत्काल से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये इस कुप्रथा को समूले नष्ट करने में तत्पर हों तथा पीड़ित पक्ष का बचाव करते हुये क्षतिपूर्ति करवायें।

प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/27/1802 दिनांक : 17.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

1. पुलिस अधीक्षक, राजसमंद की रिपोर्ट प–6 ( ) राजस/अप/परि/13/20594, दिनांक 08.10.2013 का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह प्रकरण जातीय पंचायत द्वारा किये गये एक अनाधिकृत निर्णय से संबंधित है। अतः उप पंजीयक, आयोग को निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण से संबंधित तथ्य जातीय पंचायत द्वारा की गई अनैतिक कार्यों के संबंध में उनके द्वारा संधारित की जा रही लिस्ट में उल्लेखित करें।

2. प्रकरण के संबंध में दर्ज किये गये अपराध सं. 255/12 थाना देवगढ़ में 20 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 384, 500 आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है, अतः प्रकरण पत्रित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति परिवादी को उपलब्ध कराई जाये।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 12/03/3242 दिनांक : 18.10.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुडी

श्री तारासिंह, उप अधीक्षक, वृत्त अटरू, जिला बारां उपस्थित। श्री तारासिंह को चुना गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, बारां ने अवगत करवाया है कि कस्बा अटरू में मोटर मालिकों ने स्वेच्छा से व आपसी सहमति से नई ट्रक यूनियन का गठन किया था। वर्तमान में ट्रक यूनियन द्वारा किसी मोटर मालिक से कोई पैसा जमा नहीं करवाया जा रहा है और न ही गाड़ी पर 100/- की रसीद काटी जा रही है। मोटर मालिक स्वेच्छा से व्यापारी से भाड़ा तय कर, कृषि उपज मण्डी अटरू से कृषि माल ले जाने के लिए स्वतन्त्र है। ट्रक यूनियन द्वारा किसी भी मोटर मालिक को उनके तहत जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। दिनांक 18.3.2012 को उप जिला कलक्टर अटरू की अध्यक्षता में व्यापार संघ अटरू व मोटर मालिक हाडौती मिनी मेटाडोर ऑनर्स का किराया भाड़े का विवाद तय करवाया था। ट्रक मालिकों ने आपसी समझौता कर किराया भाड़े की दरें तय की थी।

जिला पुलिस अधीक्षक बारां को लिखा जावे कि सम्बन्धित पुलिस थाना को ट्रक यूनियन की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखने के लिए निर्देशित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि ट्रक यूनियन की गतिविधियों से किसी मजदूर, कृषक, व्यापारी को अनुसूचित नुकसान या परेशानी न हो, यूनियन किसी भी वाहन को ट्रक यूनियन से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं करें, व्यापारी स्वतंत्र रूप से किसी भी ट्रक से माल भिजवा सके, ट्रक यूनियन, मोटर मालिकों से शुल्क वसूल न करे तथा ट्रक यूनियन किसी व्यापारी को यूनियन से ट्रक लेने के लिए बाध्य न करें।

पत्रावली पत्रित की जाती है।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/4407 दिनांक : 22.10.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुडी

उप महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान, जयपुर श्री सरवर खान उपस्थित। श्री खान को सुना गया तथा पत्रावली का

अवलोकन किया गया, श्री खान ने निवेदन किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को जांच के प्रयोजन से कई बार तलब किया गया, परन्तु वह जांच हेतु उनके समक्ष उपस्थित नहीं आया, पूर्व में इस प्रकरण की जांच अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जयपुर द्वारा की गयी थी जिसमें शिकायत को तथ्यहीन एवं मिथ्या पाया गया था।

इस प्रकरण के तथ्यों एवं शिकायतकर्ता के जांच में सहयोग नहीं करने के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण पत्रित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादी को एवं एक प्रति महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे।

महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा जो परिवाद तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं जांच के लिये प्रेषित किये जाते हैं, बहुधा ऐसा पाया जाता है कि जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत होती है उसी अधिकारी से जांच कराई जाकर आयोग को प्रेषित की जाती हैं, यह उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः भविष्य में आयोग द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाकर आयोग को प्रेषित की जावे।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/22/1308 दिनांक : 24.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री श्रेणीदान चारण, निवासी ग्राम मथानियां, जिला जोधपुर द्वारा आयोग को इस आशय का परिवाद प्राप्त हुआ कि श्री देरावरसिंह, उप निरीक्षक पुलिस, जिला जोधपुर ग्रामीण हाल जालौर ने बहैसियत मुख्तयारआम ग्राम टेकरा तहसील फलौदी की जमीन खसरा नं. 09/15, रकबा 56.11 बीघा जमीन विक्रय की थी जिसका फर्जी मुख्तयरनामा बनाकर प्रार्थी की 56.11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने रिश्तेदार के नाम करवा ली। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना औसियां में अपराध संख्या 32/2010, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में दर्ज कराया गया है जो अनुसन्धानाधीन है।

2. श्री देरावरसिंह, उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा तत्कालीन थानाधिकारी बालेसर के पद पर रहते हुए दिनांक 03.03.2011 को श्री भंवराराम विश्नोई, कानि. पुलिस थाना बालेसर को श्री बीरबल राम बिश्नोई, हल्का पटवारी टेपू से खेत खसरा नम्बर

09/15, रकबा 56.11 बीघा की जमाबन्दी की नकल लाने हेतु पटवारी के घर फलौदी भेजा तथा राजकार्य हेतु आवश्यकता होना बताकर उक्त नकल प्राप्त की। इस सम्बन्ध में तथा जमीनों की खरीद–फरोख्त, परिवादी के विरुद्ध दबाव डालने के लिए पत्र लिखने, परिवादी पक्ष को धमकियां देने, रोजनामचा–आम में गलत प्रविष्टियां अंकित करने आदि के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियमों तथा आर.पी. आर. के नियमों का उल्लंघन करना पाया जाने से महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर के पत्रांक ब–13 (   ) जोध–रेंज/अपशा/वि.जो./2012/961, दिनांक 03.07.2013 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1958 के नियम 16व के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी किया गया है।

3. परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्रेणीदान चारण के परिवाद पर श्री देरावरसिंह द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हथियाने सम्बन्धी तथ्यों की जांच अन्तर्गत धारा 202 जा.फौ. न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–3 द्वारा पुलिस थाना उदयमन्दिर को दी, बाद जांच आरोप प्रमाणित पाये जाने से न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर फौजदारी प्रकरण संख्या 221/2012 विक्रम सिंह बनाम देरावरसिंह अन्तर्गत धारा 420, 467, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. न्यायालय में विचाराधीन है।

4. प्रार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना लोहावट पर अपराध संख्या 26/12, पुलिस थाना ओसियां पर अभियोग संख्या 76/12 तथा पुलिस थाना बाप पर अपराध संख्या 47/12 दर्ज करवाये गये। उक्त तीनों प्रकरणों में बाद अनुसन्धान नतीजा एफ.आर. अदमवकू (झूंठ) में दिया गया है।

5. इस परिवाद के अतिरिक्त भी अन्य कई गम्भीर मामलों में आरोपी होने पर भी श्री देरावरसिंह को फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापित किया गया जिसके सम्बन्ध में महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर तथा पुलिस अधीक्षक, जालौर से टिप्पणी प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, जालौर ने अवगत कराया है कि श्री देवराज सिंह की सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली में इनके विरुद्ध किसी भी सजा/आपराधिक अभियोग/लम्बित विभागीय कार्यवाही नियम 16/17 सीसीए का इन्द्राज नहीं था। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर भी जिला पुलिस अधीक्षक, जालौर द्वारा गम्भीर दुराचरण में लिप्त श्री देरावर सिंह, उपनिरीक्षक को फील्ड पोस्टिंग में लगाने के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, जालौर को ताकीद किया जाता है कि भविष्य में फील्ड में पदस्थापन किये जाने वाले अधिकारियों के आचरण, चाल–चलन आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पदस्थापन में सावधानी एवं सतर्कता बरती जावे।

6. परिवादी के विरुद्ध दर्ज तीनों प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकू न्यायालय में पेश की जा चुकी है, अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा परिवादी के परिवाद पर आरोपी श्री देरावर सिंह के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण

` एवं अपील) नियमावली–1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी किये जा चुके हैं। परिवाद में आयोग स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः परिवाद पत्रित किया जाता है। सभी सम्बन्धितों को तद्नुसार सूचित किया जावे।

7. आरोपी उपनिरीक्षक श्री देरावरसिंह को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने तथा दुराचरण सम्बन्धी मामलों का सर्विस बुक में इन्द्राज करवाने हेतु एक अन्य परिवाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देश जारी किये हुए है। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त परिवाद में भी संलग्न की जावे।

(डॉ. एम.के. देवराजन)

सदस्य

परिवाद संख्या : 13/253298 दिनांक : 25.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में संयुक्त सचिव (ए.एन.) मुख्यमंत्री के पत्र क्रमांक मु.मं.–संयु.सं. (एन.)/प–2गृह/13/95454, दिनांक 1.10.13 जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट क्रमांक स–3 ( )/अजम–अप/एसआर/13/38965–66 दिनांक 4.09.2013, जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट क्रमांक प. 6 ( ) नागौर/अप.शा./परि./2013/40247 दिनांक 16.09.2013 तथा जिला कलक्टर, अजमेर की रिपोर्ट क्रमांक कअ/न्याय/मान.आ./2013/17846, दिनांक 8.10.2013 का अवलोकन किया। उक्त रिपोट्स के अवलोकन से राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद नाम की संस्था एक संदिग्ध संस्था प्रतीत होती है। अतः सचिव आयोग को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संस्था का विवरण संदिग्ध संस्थाओं की सूची में दर्ज किया जावे तथा इस संस्थान के संबंध में भी एक अलग पत्रावली खोली जाकर उसमें संबंधित कागजात लगाये जावें। जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर तथा नागौर को लिखा जावे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जावे तथा कोई आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

परिवार पत्रित किया जाता है।

(डॉ. एम.के. देवराजन)

सदस्य

परिवाद संख्या : 13/05/1532 दिनांक : 28.10.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर ने रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि बालोतरा कस्बे में पेयजल आपूर्ति लूणी नदी किनारें स्थित बिठूजा एवं इन्द्राणा गांवों में स्थित नलकूपों से जल उत्पादित कर की जाती है। विगत 05 से 06 वर्षों से लूनी नदी में जल प्रवाह नहीं होने से इन नलकूपों से जल उत्पादन में कमी आई है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बालोतरा कस्बे को इन्दिरा गांधी परियोजना से स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजना पोकरण–फलसूण्ड– बालोतरा–सिवाना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजना में समय लगने की संभावनाओं के तहत बालोतरा कस्बे को वैकल्पिक तौर पर वृहद पेयजल परियोजना उम्मेद–सागर–धवा–समदडी–खण्डप से पाईप लाईन का विस्तार कर अस्थाई तौर पर जोड़ा गया है, जिससे कस्बे की मांग की लगभग 30 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष आपूर्ति बिठूजा नलकूपों द्वारा की जा रही है। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी स्तर से टेंकरों द्वारा निजी स्त्रोतों से पेयजल परिवहन कर उपलब्ध करवाया जाता है।

जिले में खारेपन की समस्या को देखते हुए बाड़मेर जिले के सभी गांवों को इन्दिरा गांधी नहर एवं नर्मदा नहर का पानी उपलब्ध करवाने हेतु लगभग 1200 गांवों की इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है एवं क्रियान्वयन में है। शेष रहे सभी ग्रामों का सर्वे करवाया जा रहा है। शीघ्र ही उपखण्ड बालोतकरा एवं सिवाना क्षेत्र के वासियों को मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा।

जिला कलक्टर, बाड़मेर को योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत् निगरानी रखने तथा शेष गांवों का शीघ्र सर्वे करवाने के लिए निर्देशित किया जाता है। पत्रावली पत्रित की जावे।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/02/595 दिनांक : 29.10.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

परिवाद के संबंध में निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर श्री राहुल भटनागर ने उपस्थित होकर विस्तृत

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निदेशक महोदय को विस्तार से सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

श्री भटनागर ने आयोग को आश्वस्त किया कि बाघ परियोजना रणथम्भौर में बाघों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। बाघ परियोजना रणथम्भौर के लिये स्वीकृत वनरक्षकों के रिक्त चल रहे पदों के विरुद्ध भर्ती की जा चुकी है। नियमित रूप से होमगार्ड्स लगाये जा रहे है तथा वन क्षेत्रों में अवैध कटान के दबाव को कम करने हेतु इस क्षेत्र में बसे हुए ग्रामीणों को गैस कनेक्शन पर सब्सिडी देते हुए आवंटित किये गये है तथा यह प्रक्रिया अभी भी चालू है। श्री भटनागर द्वारा आयोग को यह भी आश्वस्त किया गया कि बाघों की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बजट राशि को बाघों की सुरक्षा के उद्देश्य से ही खर्चा किया जाता है तथा किया जा रहा है।

निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि महत्ती बाघ परियोजना को सफल बनाने एवं बाघों की सुरक्षा के संबंध में समस्त समुचित कार्यवाही की जावें।

प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पत्रित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जावें।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/637 दिनांक : 30.10.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

परिवाद के संबंध में श्री मुकेशचन्द्र गौड़, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर ने उपस्थित होकर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निदेशक महोदय को विस्तार से सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

श्री गौड़ ने यह स्वीकार किया कि समाचार–पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 1 फरवरी, 2013 में प्रकाशित समाचार में वर्णित तथ्य बहुत कुछ हद तक उस वक्त सही थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नई पेंशन डायरी की स्कीम नये रूप से लागू की गई थी, इस कारण निश्चित तौर पर पेंशनर्स की संख्या को देखते हुए शुरुआत में व्यवस्था शत–प्रतिशत सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकी थी। विभाग के ध्यान में ज्यों–ज्यों नई–नई समस्यायें आई विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों के मध्येनजर उनके समाधान का नियमित रूप से प्रयास किया गया तथा आज स्थिति शत–प्रतिशत दुरुस्त है तथा वर्तमान में पेंशनर्स के

आवेदन करने पर उनको नई मेडिकल डायरी यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध करा दी जाती है।

सदस्य सचिव एवं निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि पेंशनर्स को जो सुविधायें दी जाती है, वह सुविधायें पेंशनर्स का मूलभूत अधिकार है तथा पेंशनर्स समाज के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक है, जिन्होंने कि जीवन पर्यन्त राज्य एवं समाज की सेवा की होती है, अतः राज्य का यह दायित्व है कि पेंशनर्स कि गरिमा को बनाये रखे उनके अधिकारों की रक्षा की जावे तथा उनको देय सुविधायें, लाभ, पेंशन, मेडिकल सुविधा आदि उपलब्ध कराई जावे।

निदेशक महोदय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारीगण को एक परिपत्र जारी कर अधिक संवेदनशील होकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावें तथा पेंशनर्स समाज के पदाधिकारीगण को भी सूचित किया जावें। प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर प्रकरण पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/1860 — दिनांक : 2.12.2013

एकलपीठ

<u>समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी</u>

<u>समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन</u>

गृह (ग्रुप-12) विभाग के विशेषाधिकारी, गृह (जेल) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

रिपोर्ट में अवगत करवाया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रेफरेन्स संख्या 1/2013 रमेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.4.2013 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. संख्या 19864/13 राजस्तान राज्य व अन्य बनाम रमेश कुमार में पारित निर्णय पर स्थगन आदेश जारी किया है। स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में गृह विभाग ने आदेश दिनांक 9.7.2013 जारी कर, पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 30.8.2012 की क्रियान्विति के निर्णय विशेष अनुमति याचिका के निर्णय तक स्थगित रखा है। अतः ऐसे दंडित बन्दी जिनकी दण्डादेश के विरुद्ध अपील लम्बित है, के पैरोल प्रकरण भी पूर्व की भांति निस्तारित किये जा रहे है।

नये पैरोल नियम बनाने के बारे में अवगत करवाया गया है कि प्रिजन्स अधिनियम, 1894 में संशोधन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। प्रिजन्स अधिनियम में संशोधन के उपरान्त, नये पैरोल नियम बनाये जायेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के बाद पूर्व की भांति पैरोल प्रकरण निस्तारित किये जा रहे हैं। आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.1.2013 की पालना में गृह विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) गृह–12/कारा/2007, दिनांक 8.6.2012 जारी किया जा चुका है। इस पत्रावली में अब और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली पत्रित की जाती है।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

(एच.आर. कुडी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/01/1231

दिनांक : 2.12.2013

एकलपीठ.3

<u>समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी</u>

हिन्दी समाचार–पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 13.4.2012 को ''पैदा हुई थी बेटी, ईनाम के लालच में बेटे की सूचना दे दी'' शीर्षक से प्रकाशित खबर के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 17.4.2012 को प्रसंज्ञान लिया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाने के लिये निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ. सम्पत सिंह जोधा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर से जांच करवाकर, जांच रिपोर्ट प्रेषित की। मेडिकल कॉलेज प्रशासन तथा महिला चिकित्सालय, अजमेर द्वारा भी इस मामले जांच करवाई गई। जांच में यह पाया गया कि दिनांक 10.4.2012 को श्रीमती मोगा देवी को प्रसव के बाद स्टॉफ द्वारा उसके रिश्तेदारों को साधारण भाषा में बच्चा होने की खबर दी। बच्चा शब्द बच्चा एवं बच्ची दोनों हेतु आमतौर पर प्रयोग में लिया जाता है। श्रीमती मोगा देवी के रिश्तेदार बच्ची को देखकर भड़क गये। समाचार–पत्र में प्रकाशित खबर सही नहीं है। श्रीमती मोगा देवी को बच्ची पैदा हुई थी। उसके पति व रिश्तेदार को लेबर रूम के प्रसव रजिस्टर व बच्ची का भर्ती टिकट दिखाकर सन्तुष्ट किया गया कि श्रीमती मोगा देवी ने बच्ची को जन्म दिया है।

आयोग ने आदेश दिनांक 18.6.2012 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को आग्रह किया कि वे अपने अधीनस्थ अस्पतालों को यह निर्देश प्रसारित करने पर विचार करे कि–

1. किसी महिला का चिकित्सालय में प्रसव होने पर अस्पताल स्टॉफ द्वारा महिला द्वारा उसके रिश्तेदारों को स्पष्ट रूप से अवगत करवाये जावे कि उसके लड़का हुआ है अथवा लड़की। बच्चे को अगर कोई समस्या नहीं है तो संबंधित महिला तथा उसके रिश्तेदारों को दिखाया जावे।
2. समस्त अस्पताल वालों को निर्देशित करे कि अस्पताल में प्रसव होने पर मिठाई, ईनाम आदि अस्पताल परिसर में वितरण करने से निरूत्साहित किया जावे।

आयोग द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग ने पत्र क्रमांक प. 16 (11) एमई/ग्रुप–1/2012 दिनांक 5.7.2012 जारी कर समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक तथा अस्पताल अधीक्षक को आयोग द्वारा सुझाये गये दोनों निर्देश प्रसारित कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर ने भी पत्र क्रमांक एच–125/2012/22 दिनांक 7.1.2013 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आयोग द्वारा सुझाये गये दोनों निर्देश प्रसारित कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित कने के लिए पाबन्द किया है।

इस परिवाद में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः परिवाद पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/2577 दिनांक : 12.12.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

इस प्रकरण में राष्ट्रदूत समाचार–पत्र दिनांक 09.06.2013 में प्रकाशित समाचार शीर्षक **''शाहपुरा में एक दर्जन खुले पड़े कुएं व ट्यूबवैल हादसे को दे रहे न्यौता''** के आधार पर आयोग द्वारा स्व.प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला कलक्टर, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.09.2013 द्वारा अवगत कराया गया कि पटवार सर्किल शाहपुरा से सामलाती खुले कुओं का सर्वे करवाया गया, जिसमें 14 कुएं निजी खातेदारी केखुले पड़े हुए मिले, जो वर्तमान में कृषि के कार्य में नहीं आ रहे हैं जिनमें तारबंदी करवाई गई तथा संबंधित खातेदारों को 15 दिवस में खुले पड़े हुए कुओं को ढंकने हेतु पाबंद किया गया।

उक्त रिपोर्ट से आयोग की संतुष्टि नहीं हो पाने पर जिला कलक्टर, जयपुर को प्रकरण के संबंध में विज्ञ अधिकारी को परीक्षण हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया।

उपरोक्त आदेशों की रोशनी में आज श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा उपस्थित आये तथा उन्होंने अपने निर्देशन में अधीनस्थ लोकसेवकों द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की। यद्यपि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा एवं मुख्यालय स्तर पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका शाहपुरा द्वारा खुले कुओं को एहतियातिक रूप से पट्टियां डालकर ढंकवाये जाने की प्रगति का ब्यौरा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लेखित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुंओं की संख्या को देखते हुये राज्य स्तर पर सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी है, स्थानीय स्तर पर इन खुले कुओं या खुले बोरिंग होलों से अनेक दुर्घटनायें घटित हुई हैं जिन्हें बचाने के लिये स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी है फिर भी कई मासूमों, नागरिकों एवं मवेशियों की जान नहीं बच पाई, इस प्रकार राज्य के चहुं ओर फैले भू–भाग में पुराने कुओं एवं खुले बोरिगों की संख्या बहुत अधिक है जिनसे हर समय खतरा बना

रहता है। राज्य आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं के बाबत् समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर अनेक प्रकरणों में प्रसंज्ञान भी लिया है, किन्तु राज्य स्तर पर इस संबंध में कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई है।

अतः मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषय में राज्य स्तर पर नीति निर्धारित कर राज्य के जिला कलक्टरों को राज्य में होने वाली मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में संवेदनशील होकर कारगर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करावें तथा की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करावे।

परिवाद इसी अनुरूप पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/01/3990 दिनांक : 09.01.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुडी

परिवाद के संबंध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. अजमेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दिनांक 19.10.2012 को राजस्थान पत्रिका में गार्ड सुगन सिंह के बारे में लेख छपने पर उक्त गार्ड को गार्ड ड्यूटी से हटा दिया और गार्ड सोसायटी को भी अवगत करा दिया।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. अजमेर को निर्देशित किया जावे कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिये बोर्ड द्वारा उचित प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित करावें। इन्हीं निर्देशों के साथ परिवाद का निस्तारण किया जाकर पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/1176 दिनांक : 09.01.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

परिवाद के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, (परिवहन) विभाग, जयपुर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट, आयोग में प्रस्तुत कर अवगत कराया है। निगम द्वारा परिचालक को मार्ग पर जाने से पूर्व फर्स्टएड बॉक्स में आवश्यक सामग्री जारी की जा रही है।

गत तीन वर्षों में कुल 4,15,523 रु. व्यय किया गया है व निगम द्वारा वर्ष 2012–13 में 400 अग्निशमन यंत्र स्टेज केरेज वाली वाहनों को आवंटित किये हुए हैं। शेष के लिए प्रक्रिया जारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान रोडवेज को निर्देशित किया जावे कि बसों में अग्निशमन एवं फर्स्टएड बॉक्स के संबंध में सभी संबंधित को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करावें, ताकि आगजनी एवं दुर्घटना होने की स्थिति में यात्रियों के जीवन को बचाया जा सके। इन्हीं निर्देशों के साथ परिवाद का निस्तारण किया जाकर पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/2794 दिनांक : 15.01.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

इस प्रकरण में डॉ. प्रभा ओम, प्रोफेसर एवं यूनिट हैड, डिपार्टमेन्ट ऑफ सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर मय रिकॉर्ड के उपस्थित। उनको सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि उस समय आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर में एक ही टेबल थी और उसमें एक मरीज का ईलाज पहले से ही किया जा रहा था, इसलिये मरीज का समय पर ऑपरेशन नहीं किया जा सका।

राजस्थान राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में संसाधनों के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु हो जाना, यह बड़े खेद एवं चिन्ता का विषय है। यह जन कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह समय पर उनके नागरिकों को अपने जीवन रक्षा हेतु समुचित संसाधनों सहित चिकित्सा उपलब्ध करावें तथा अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों में ऐसे संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिये।

अतः आदेश की एक प्रति प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में किसी भी मरीज की देखभाल करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये, इस संबंध में सभी अस्पतालों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जावें।

प्रकरण इसी अनुरूप पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/26/4450 दिनांक : 7.02.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

1. दलित अधिकार केन्द्र के संरक्षक श्री पी.एल. भीमरोठ के माध्यम से आयोग में परिवादी श्री गंगाराम मेघवाल का प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ कि उनके छोटे भाई स्व. नारायण लाल पुत्र श्री लालाराम जी मेघवाल ग्राम मादा, तहसील देसूरी जिला पाली की नरेगा कार्य के दौरान राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन ग्राम मादा में निर्माण कार्य करते समय पट्टियां गिरने से गंभीर चोट लगी एवं ईलाज के दौरान 5 मार्च, 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित है कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन की पट्टियां 1 इंच 1/2 इंच दीवार पर ही रखी हुई थी जिसके कारण हादसा हुआ। हादसे के बाद नारायण लाल को ईलाज के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर, राजस्थान अस्पताल एवं सिवाल अस्पताल अहमदाबाद ले गये। ईलाज के दौरान 5.3.2012 को उनकी मृत्यु हो गई। करीब 3 लाख खर्च होने के बाद भी उनकी जान नहीं बची। उन्हें कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिली आदि।

2. उक्त रिपोर्ट पर आयोग द्वारा जिला कलेक्टर पाली से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी की रिपोर्ट क्रमांक 09 दिनांक 10.4.2013 आयोग को प्रेषित की गई कि ''मृतक श्री नारायणलाल की पत्नी श्रीमती लता देवी को ''प्रशासन गांवों के संग अभियान 2012–13 को ग्राम पंचायत मादा शिविर दिनांक 11.1.2013 को 25,000/– रुपये की अनुगृह राशि चैक संख्या 013780 दिनांक 8.1.2013 के द्वारा भुगतान कर दिया गया।''

3. आयोग ने आदेश दिनांक 26.9.2013 के द्वारा निर्देशित किया गया कि ''नारायणलाल की मृत्यु से पूर्व जोधपुर एवं अहमदाबाद में ईलाज कराया गया था, जिसके लिए उन्हें काफी राशि खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त मृतक परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यह एक विशेष प्रकरण हैं, जिसमें पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से उचित आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण भेजा जाना उचित होगा।''

4. इस क्रम में जिला कलेक्टर पाली की रिपोर्ट क्रमांक 127 दिनांक 22.1.2014 का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार ''मृतक नारायणलाल मेघवाल की पत्नी को पन्नाधाय योजना से 75,000/– रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20,000/– रुपये एवं नरेगा योजना से 25,000/– रुपये इस तरह कुल 1,20,000/– अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।''

5. प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण इसे पत्रित किया जाता है। जिला कलेक्टर के पत्र की प्रति परिवादी को सूचनार्थ भेजा जावें। यह प्रकरण रिपोर्टेबल रहेगा।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 12/17/3996 दिनांक : 19.02.2014
10/17/1970
12/17/2871

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

परिवाद के संबंध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा फल/सब्जियों में होने के विषय में दिये गये निर्देशों की पालना में फल/सब्जियों के विक्रय स्थल पर निरीक्षण/नमूनीकरण कार्य हेतु प्रभारी नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक मुख्यालय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल गठित किया जाता है। उपरोक्त दल संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में फल/सब्जियों के विक्रय स्थल एवं भण्डारण स्थानों का माह में चार बार निरीक्षण/नमूनीकरण कार्य कर पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे तथा रसायनों से तैयार एवं खराब फल/सब्जियों को मौके पर ही नष्ट कराने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे। अतः परिवाद का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर पत्रित किया जाता है।

(एच.आर. कुडी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/20/3704 दिनांक : 03.03.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ डॉ. मोहम्मद साजिद उपस्थित आये। इस प्रकरण के संबंध में पूछने पर उन्होंने अवगत कराया कि इससे संबंधित रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। मैंने उनको अवगत कराया कि उनके कार्यालय से इस प्रकरण के संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा उनसे आग्रह किया कि वे इस संबंध में आयोग को भेजी गई रिपोर्ट की कार्यालय प्रति मुझे दिखायें तो उन्होंने अपने साथ कोई रिकॉर्ड नहीं लाना बताया। डॉ. साजिद को मैंने अवगत कराया कि उन्हें इस आयोग में चल रही कार्यवाहियों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, जब आयोग में पेशी पर आते है तो वे कम से कम संबंधित पत्रावली अथवा प्रकरण में उनके कार्यालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की प्रति तो ला सकते है। उन्हें यह भी अवगत कराया कि इस प्रकरण के संबंध में केवल यह जानकारी लेने हेतु कि खसरे का टीका लगाने के समय सामुदायिक

सेवा केन्द्र, चिड़ावा में अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही चाही गई, के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान 5 स्मरण पत्र भेजने, 2 बार धारा 13 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का नोटिस भेजने, अंत में सम्मन भेजने, आयोग के समक्ष बुलाने के बाद भी अब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो उनके कार्यालय द्वारा आयोग के प्रकरण को जिस तरह से हल्के तरीके से लिया जाता है उसका उदाहरण है। अगर उसकी पुनरावृत्ति की गई तो कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय में चल रहे प्रकरणों के संबंध में आयोग द्वारा सिविल न्यायालय में चल रहे प्रकरणों के संबंध में आयोग द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सुनवाई प्रारंभ की जायेगी, जिससे उनके तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को असुविधा होगी।

2. आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ से इस प्रकरण के अलावा उनके कार्यालय से संबंधित अन्य 2 प्रकरण 11/20/2419, 13/20/9432 एवं 06/20/3356 के संबंध में भी चर्चा की। उनसे आग्रह किया कि वे प्रत्येक महीने आयोग से प्राप्त विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा करे तथा प्रकरण का निस्तारण समय पर करने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही करे। इस परिवाद के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झालावाड़ द्वारा एक रिपोर्ट क्रमांक 148 दि. 3.3.2014 तैयार कर आज मेरे समक्ष प्रस्तुत की। अनुपस्थित प्रभारी सामुदायिक स्वा. केन्द्र, चिड़ावा को उनके द्वारा चेतावनी देकर भविष्य में सुचारू रूप से सेवायें देने हेतु पाबन्द किया है। प्रकरण पत्रित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को भेजी जाये।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 13/27/234 दिनांक : 06.03.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

परिवादी श्री उदय सिंह, एक्स सिपाही नं. 2860009 पुत्र श्री रतनसिंह, निवासी लसाडिया, पो. कूकड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2012 आयोग को प्रेषित कर प्रार्थना की कि प्रार्थी भारतीय सेना सेवा में कार्यरत था तथा सन् 1971 में भारत–पाक युद्ध के दौरान स्थाई विकलांग सैनिक घोषित हो गया। स्थाई विकलांग होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा प्रार्थी को तहसील देवगढ़ के मौजा कालागुन पटवार हल्का ताल में स्थित आराजी नं. 65 मीन में से 25 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। उक्त आवंटन के संबंध में प्रार्थी को जानकारी नहीं होने से इस भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सका तथा बाद में भूमि आवंटन की जानकारी एवं आवंटन आदेश की प्रति सैनिक कल्याण बोर्ड, उदयपुर से मिलने पर प्रार्थी उक्त भूमि के आवंटन/कब्जा दिलाने की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, भीम व तहसीलदार देवगढ़ से कई बार मिला लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई/कार्यवाही नहीं की गई और ना ही किसी प्रकार का रिकॉर्ड दिया गया इत्यादि।

2. उक्त परिवाद पर जिला कलक्टर, राजसमन्द से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। विभिन्न पत्राचार उपरान्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक प. 41 (55/2013) सतर्कता/2013/26 दिनांक 07.02.2014 द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 31.01.2014 में समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया तथा प्रार्थी श्री उदयसिंह पिता श्री रतनसिंह को कालागुन के आराजी नम्बर 65, रकबा 67 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम भूमि में से 25 बीघा भूमि आवंटन की गई जिसका कब्जा सुपुर्द कर गैर खातेदारी हक से नामान्तरण संख्या 1334 आवंटन कर अमलदरामद हो जाने पर समिति द्वारा प्रकरण सर्वसम्मति से ड्रोप किया गया है।

3. परिवादी को 25 बीघा भूमि का आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। परिवाद में आयोग स्तर पर आगे कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अतः परिवाद पत्रित किया जाता है। जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.02.2014 तथा संलग्नकों की एक–एक प्रति परिवादी को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जावे।

4. यह प्रकरण प्रकाशनीय Reportable रहेगा।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 13/20/176 दिनांक : 10.3.2014

एकलपीठ

<u>समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन</u>

आयोग के आदेश दिनांक 20.9.2013 द्वारा अति. मुख्य सचिव गृह विभाग से आग्रह किया था कि दिनांक 17.12.2012 को मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा नेशनल हाईवे सं. 12 को 5 घंटे जाम लगाने के पश्चात् भी उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही नहीं करने वाले पुलिस अधीक्षक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयोग को प्रतुत करे। अति. मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट F (33) HHR/2013 Nov. 29, 2013 द्वारा अवगत कराया था कि उस वक्त के हालात को देखते हुए रेजीडेन्ट डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही दर्ज करना जनहित में नहीं था। बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकार द्वारा भी जनहित की बात का सहारा लेते हुए किसी भी मुद्‌दे को लेकर आम रास्ता रोककर जनता को परेशानी में डालने तथा उनके मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही से बचते हैं।

2. <u>अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग</u> ने उनके कार्यालय तथा पुलिस विभाग द्वारा रास्ता रोकने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में जारी किये गये 4 आदेशों की प्रति आयोग को भिजवाई है। बड़े खेद की बात है कि उक्त समस्त आदेशों के बाद भी फील्ड में पदस्थापित पुलिस अधिकारी रास्ता रोकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में इच्छुक नहीं रहते हैं तथा कोई न कोई बहाना बनाकर अपराध दर्ज करने से बचते रहते है। इस संबंध में आयोग द्वारा प्रकरण सं. 12/17/

3283 में प्रसारित आदेश दि. 22.11.2013 की एक प्रति उन्हें भेजी जाकर आग्रह करे कि रास्ता रोकने वाले मामलों में कानूनी प्रावधानों का तथा पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु रास्ता रोकने संबंधी प्रकरणों को संचार माध्यमों, वायरलेस संदेश आदि के मार्फत एकत्रित किये जाने तथा उनकी मॉनीटरिंग हेतु राज्य सरकार तथा पुलिस मुख्यालय के स्तर पर उचित व्यवस्था करने हेतु श्रम किया जाये। भविष्य में किसी मामले में रास्ता रोकने वाले आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में लापरवाही का मामला आयोग के ध्यान में आने पर आयोग को संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आयोग की धारा 13 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत विवश होना पड़ेगा।

3. उक्त निर्देश जारी होने के पश्चात् इस प्रकरण को पत्रित किया जाये। अति. मुख्य सचिव गृह विभाग के पत्र के साथ संलग्न गृह विभाग/पुलिस विभाग के 4 आदेशों की प्रति संबंधित गार्ड फाईल में रखी जाये।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

परिवाद संख्या : 12/08/3675, 13/17/746 दिनांक : 13.03.2014

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

आयोग के आदेश दिनांक 6.01.2014 के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा वर्ष 2013 में 6 माह से अधिक देरी से जारी हुए पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट क्रमांक शिविरा/माध्य/पेंशन–स/34983/मा. अधि./14 दिनांक 4.02.2014 का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त पेंशन प्रकरणों में देरी हेतु विभाग द्वारा उचित कारण अंकित किये गये हैं। अतः निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय में विचाराधीन पुराने मामले जिनका निस्तारण हो चुका है, उनको आयोग के स्तर पर समीक्षा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः ये दोनों प्रकरण **पत्रित** किये जाते हैं। निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अभी विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में अलग से प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जा रही है। अतः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से आग्रह किया जा रहा है कि विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा अपने स्तर पर लगातार जारी रखें तथा पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विचाराधीन चल रहे विभिन्न प्रशासनिक मामलों के निर्णय में भी तेजी जायें ताकि ऐसे मामले लम्बित होने से अनावश्यक रुप से प्रकरणों के निस्तारण में देरी न हो।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
सदस्य

माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री एच.आर.कुड़ी द्वारा किये गये निरीक्षण, सभायें एवं मीटिंग का विवरण दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक
दिनांक 05.04.2013 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात कर मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया।
दिनांक 24.04.2013 को कैम्प कोर्ट बीकानेर में महानिरीक्षक पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के साथ मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई ।
दिनांक 26.04.2013 को सुजानगढ़ डाक बंगले में एस.डी.ओ. एवं उप पुलिस अधीक्षक से मानव अधिकारियों से जुड़े विषयों पर विचार–विमर्श किया।
दिनांक 01.05.2013 को 11.00 ए.एम. पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, नागौर के साथ मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर विचार–विमर्श किया। मेड़ता में जिलास्तरीय अधिकारीगण के साथ सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारों, पेंशन, निःशुल्क दवाईयों, निःशुल्क चिकित्सा जांच, पीने के पानी एवं बाल विवाह अधिनियम के संबंध में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया एवं आवश्यक समझाइस की गई।
दिनांक 25.05.2013 को बीकानेर में नारी निकेतन, बालिका गृह, विमंदित गृह का निरीक्षण किया`वं अधिकारीगण के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये। महिला पुलिस थाना बीकानेर का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर थानाधिकारी व उनके थाना स्टॉफ को पुलिस दायित्व, पुलिस व्यवहार, बालश्रम रोकने, नारी अत्याचार रोकने एवं मानव अधिकारों की रक्षा में अधिक संवेदनशील होकर कार्य करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।
दिनांक 04.06.2013 को बमुकाम सवाई माधोपुर में (11.00 ए.एम. से 12.30 पी.एम.) पुलिस अधीक्षक, अति. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलास्तरीय अधिकारीगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग की गई। (12.30 पी.एम. से 01.30 पी.एम.) बार एसोसियेशन के साथ मानवाधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। (01.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.) न्यायिक अधिकारीगण के साथ में मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। सवाई माधोपुर से 02.30 पी.एम. पर रवाना होकर 03.30 पी.एम. पर गंगापुरसिटी पहुंच कर गंगापुरसिटी के अधिकारीगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग ली गई। गंगापुरसिटी से 04.30 पी.एम. पर रवाना होकर 05.30 पी.एम. पर करौली पहुंचा। 06.00 पी.एम. पर जिला पुलिस अधीक्षक, अति. जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार करौली के साथ बैठक कर आयोग में लम्बित प्रकरणों के संबंध में विचार–विमर्श किया एवं आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये।
दिनांक 14.06.2013 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में आयोग के माननीय अध्यक्ष, सैकेट्री जनरल एवं महानिदेशक पुलिस से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कम्प्यूटर कार्य प्रणाली एवं मानव अधिकारों सेजुड़े मुद्‌दों के संबंध में चर्चा की।
दिनांक 22.06.2013 को नागौर में जिला कलक्टर एवं अति. पुलिस अधीक्षक, नागौर के साथ मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों एवं मानवाधिकारों से जुड़े मुद्‌दों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।

दिनांक 27.06.2013 को बमुकाम उदयपुर में (11.00 ए.एम. से 11.30 ए.एम.) सर्किट हाऊस में जनसुनवाई की गई। (11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.) जिलास्तरीय अधिकारीगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। (02.00 पी.एम. से 06.30 पी.एम.) कैम्प कोर्ट।
दिनांक 28.06.2013 को बमुकाम उदयपुर (11.00 ए.एम. से 12.30 पी.एम.) जन सुनवाई की। (12.30 पी.एम. से 01.30 पी.एम.) मीडिया एवं प्रेस के साथ मुलाकात की।
दिनांक 01.07.2013 को जोधपुर में सम्भागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक, अति. जिला मजिस्ट्रेट एवं अति. सम्भागीय आयुक्त के साथ बैठक कर मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।
दिनांक 14.09.2013 को निवाई स्थित विद्यालय परिसर में उपस्थित छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकगण एवं अभिभावकगण को संबोधित किया।
दिनांक 02.08.2013 को जोधपुर में 05.00 पी.एम. से 07.30 पी.एम. तक आयोग एवं सीएचआरआई की ओर से आयोजित कार्यशाला'' प्रिजन विजिटिंग सिस्टम में सम्मिलित हुआ।
दिनांक 03.08.2013 को जोधपुर में आयोग एवं सीएचआरआई की ओर से आयोजित कार्यशाला ''प्रिजन विजिटिंग सिस्टम में सम्मिलित हुआ।
दिनांक 14.09.2013 को उदयपुर में अति. जिला मजिस्ट्रेट, अति. निदेशक, खान एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण के साथ मानवाधिकारों एवं खान जनित बीमारियों के संबंध में विचार–विमर्श किया।
दिनांक 20.09.2013 को टोंक में न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक कर मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।
दिनांक 21.09.2013 को टोंक में जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिले के अधिकारीगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में बैठक कर समझाईश की गई तथा जन सुनवाई एवं प्रेस के साथ मानव अधिकारों के संबंध में चर्चा की।
दिनांक 17.12.2013 को नागौर में ए.डी.एम., अति. पुलिस अधीक्षक के साथ मानव अधिकार विषयों पर विचार–विमर्श किया।
दिनांक 31.01.2014 को राजसमंद में जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ मानव अधिकारों विषयों पर विचार–विमर्श किया।
दिनांक 01.02.2014 में उदयपुर जनसुनवाई एवं प्रेस के साथ वार्ता की। जिला स्तरीय अधिकारीगण के साथ बैठक कर आयोग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
दिनांक 19.02.2014 को अजमेर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, अजमेर तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण के साथ बैठक कर मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में आयोग द्वारा सिलीकोसिस पीड़ित खान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिये किये गये प्रयासों में अच्छी सफलता मिली है। दिनांक 31.12. 2013 को आयोग द्वारा जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें इस मुद्दे से संबंधित सभी वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उक्त मीटिंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर आयोग द्वारा अपनी सिफारिश मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भेजी गई थी। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 28.01.2013 एवं 11.09.2013 को सभी संबंधित अधिकारियों की मीटिंग आयोजित कर खान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये। आयोग के माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन ने भी उक्त मीटिंग में भाग लिया तथा उनके द्वारा इन निर्देशों के क्रियान्वयन की मोनीटरिंग की जा रही है। उक्त मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सिलीकोसिस एवं एसबेसटोस से पीड़ित खान मजदूरों को Rajasthan Environment and Health Administrative Board (REHAB) से एक–एक लाख रुपये तथा मृतक के परिवारजनों को तीन–तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा जावेगी। REHAB की छठी बैठक दिनांक 30.05.2013 में उक्त आर्थिक सहायता हेतु रुपये 200 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है तथा इनमें से रुपये 147 लाख रुपये सिलीकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को तथा 14 लाख रुपये की राशि मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों को वितरित की गई। इसके अतिरिक्त सिलीकोसिस पीड़ितों की पहचान को सुगम बनाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि 19 लाख रुपये चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 19 जिले जहां खनन कार्य होता है, के जिला कलक्टर्स को प्रत्येक 3 महीने में मुख्य सचिव के निर्णयों की मोनीटरिंग हेतु मीटिंग आयोजित करने का आदेश दिया तथा जिला कलक्टर्स को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये अधिकृत किया गया। प्रदेश में पूर्व में गठित एक न्यूमोकोनियसिस बोर्ड के स्थान पर समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज में न्यूमोकोनियसिस बोर्ड का गठन भी किया गया। इसके अतिरिक्त इस संबंध में प्रदेश के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिये जाने तथा इस समस्या का विस्तृत अध्ययन National Institute of Miners' Health नागपुर (NIMH) अथवा National Institute of Occupational Health अहमदाबाद (NIOH) से कराने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि मुख्य सचिव के स्तर पर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की गति धीमी है इसलिये माननीय सदस्य डॉ. एम. के. देवराजन द्वारा इस समस्या के संबंध में विभिन्न स्तर पर मीटिंग आयोजित कर प्रगति की मोनीटरिंग की जा रही है। माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 30.01.2014 को इस प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा गठित की गयी कोर ग्रुप की मीटिंग जयपुर में आयोजित की गयी तथा दिनांक 21.08.2013 को करौली में जिला करौली एवं धौलपुर के अधिकारीगण तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की मीटिंग आयोजित कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये।

डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नांकित महत्वपूर्ण मीटिंग्स में भाग लिया गया :–

1.	2013–14	31.08.2013 से 3.09.2013	मुम्बई	महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग का विजिट किया गया।
2.		31.01.2014	जोधपुर	जोधपुर में Commonwealth Human Rights Initiative, नई दिल्ली द्वारा अधिवक्ताओं, समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये आयोजित सेमीनार में "Role of SHRCs in Human Rights Violations in Custody" विषय पर डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया।
3.		12.02.2014 से 15.02.2014	चेन्नई	चेन्नई में तमिलनाडु मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों से चर्चा की। जेल सुधार कार्यक्रम के संबंध में अध्ययन हेतु अतिरिक्त महानिदेशक, कारागार विभाग, तमिलनाडु से चर्चा की गई तथा केन्द्रीय कारागृह, चेन्नई का भ्रमण किया।

डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नांकित जिलों में केम्प–कोर्ट, जन सुनवाई एवं महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित कर Briefing किया गया :–

क्र.सं.	वर्ष	दिनांक	नाम जिला
1.	2013–14	3.04.2013 से 5.04.2013	बीकानेर
2.		8.04.2013 से 9.04.2013	अजमेर
3.		9.05.2013	दौसा
4.		14.05.2013 से 16.05.2013	जोधपुर
5.		6.06.2013 से 7.06.2013	स. माधोपुर
6.		9.07.2013 से 11.07.2013	नागौर
7.		21.08.2013 से 22.08.2013	करौली
8.		25.09.2013 से 27.09.2013	पाली
9.		31.01.2014 से 3.02.2014	खींवसरिया–जोधपुर

Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

Detailed reports of summer internship programme May-June, 2013
(Duration 21st May to 21st June)

For this internship programme total 50 applications were received from various university/colleges from ail across the country. All the applicants were informed in time that the internship will begin from 21st may. Some of the students came directly on the reporting date and were enrolled via on the spot registration for the internship programme.

Total 55 candidates were registered for intership. This large turn up of the students was due to the success of the previous internship programmes. However out of 55 interns, 6 interns left the internship due to their personal reasons. Unfortunately one intern named Vishal Narula from NLU Kolkata was expelled from the course due to inappropriate behavior during the course of internship. In all, 48 interns comprising of 25 girls and 23 bodys completed their internship. Most of the students were law students, while some were pursuing various other Honours courses.

The students were from the following university/colleges-

Lady Shri Ram College, University of Delhi	Janki Devi Memorial College, University of Delhi
Institute of law Nirma University.	Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow
Institute of Technology and Science	National Law University, Ranchi
University of Petroleum and Energy Studies	Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab
Gujarat National Law University	FYLC, University of Rajasthan
Jaipur National University	National Law University, Jodhpur
Naitonal Law University, Orissa	Hidayatullah National Law University, Raipur
National Law University, Kolkata	Symbiosis Law School, Pune
Jesus and Mary College, University of Delhi	

This internship programme started on 21st may, 2013. The programme was conducted at HCM RIPA in room no. 17 of Patel Bhawan. The programme covered 40 indoor sessions on various human rights related subjects and 15 field visits including police stations, NGOs, central jail, state women commission, University etc.

During the internship we had resource persons from outside namely-

Prof. R.C. Srivastava	Prof. J.P. Vyas
Prof. R.K. Choubisa	Mr. Satendra Chaturvedi
Dr. Rajesh Vyas	Mr. Mahir Azad
Justice N.K. Jain	Prof. P.d. Sharma
Shri S.S. Bissa	Mr. R.K. Saxena
Dr. Amita Aggarwal	Prof. Ramesh Arora
Justice V.S. Dave	Mrs. Kamal Shekhawat
Mrs. Neena Thakkar	Justice S.N. Bhargava
Prof. Bhavani Singh	Mr. Rampal
Prof. K.L. Sharma	

Hon'ble chairperson of the commission Mr. H.R. Kuri, hon'ble member of the commission Dr. M.K. Devrajan, Justice Dave, Justice S.N. Bhargava, Dr. Lad Kumarai Jain, Prof. P.D. Sharma, Mr. D.R. Mehta interacted with the interns on different topics. Hon'ble member of RSHRC took a special class on ''Human rights and police.''

Interns prepared dissertations and presentations in groups on the different selected issues of human rights. Namely :-

Group A	Prisoners and human rights (with ref. to Rajasthan
Group B	Implementation of Juvenile Justice act, 2000
Group C	Health and human rights with ref. to S.M. S. Hospital
Group D	Judiciary and human rights with reference to Rajasthan
Group E	Human rights and police with reference to illegal detention and torture.
Group F	Problems of elderly citizens with ref. to single women
Group G	Human rights and environment.
Group H	Human rights and special security.
Group I	Human rights and dalits.

All the projects and dissertations were evaluated by Mr. H.R. Kuri (Hon'ble Chairperson, (RSHRC) and Dr. M.K. Devrajan (Hon'ble member of the RSHRC). Group G made their presenta-

tion on the topic- **'Human Rights and Environment'** was judged as the best. Group A made their presentation on the topic- **'Human Rights and Prisons'** was judged **as the first runner up and group f made their** presentation on the topic-' **Human Rights and Problems of Senior Citizens'** was declared as the second runner up. All the winners were presented inspirational and motivational books.

Apart from this a **debate on the topic-' Social media Boon or bane' (for and against) was also conducted during the internship in which all the students actively particiapted.**

The valedictory function was held on 20th June, 2013. Welcome address was given by Dr. M.K. Devrajan (Hon'ble member of the commission). Valedictory address was given by Justice N.K. Jain (former chairperson of RSHRC) Sh. S. S. Bissa was the guest of Honor.

The best all rounder award was given to Anutosh Mishra for his sincerity, discipline, and leadership qualities.

After the prize distribution ceremony certificates were presented to the participations. At last a vote of thanks was given by the interns followed by the high tea with the dignitaries.

The dignitaries as well as the interns, appreciated the internship programme by giving positive feedbacks for the same.

Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

Course Structure of Internship Programme, 2013

Duration-21st May to 21st June, 2013

Time	21.05.2013 Tuesday	22.05.2013 Wednesday	23.05.2013 Thursday	24.05.2013 Friday	27.05.2013 Monday
Session-1 11.00. 12.15	Registration	Introduction of **Chairperson & Members of the Commission**	Importance and **elements of Human Rights** **Prof. R.C. Srivastava 9414075815**	Protection of Human Rights Act, 1993 **(with Amendment Act, 2006** **Prof. J.P. Vyas 9314242116**	Human Rights and duties **Mrs. Neena Thakkar** **9887914515**
Session-2 12.15- 01.30	**Breaking the Ice activity and Conceptual discussion on Human Rights Dr. Deepa Jain 9414237817**	Role of Rajasthan State Human Rights Commission **Shri Amarchand 9414078485**	Declaraiton of Human Rights and Human Rights **Prof. R.C. Srivastava 9414075815**	Human Rights in Indian constitution **Prof. P.D. Sharma 2602011**	Study of Important Decision of RSHRC **R.K. Aswani** **9314264399**
Lunch 01.30- 03.30					
Session-3 02.30 02.30	Group Discussion	Knowledge of SHRC filing procedures and case Registration system. **Bharti and Kalpana 2227183**	Visit of NGO **Tabar Ramesh Paliwal 9829850666 2207158**	Visit of NGO **Proples Trust Prerana Arora 9829733893**	Visit of NGO **Cuts** **2282821**
Session-4 03.30 05.00	**Visit of RSHRC**	Selection of project work from different Human Rights Issues and How to Prepare a Dissertation **Dr. Deepa Jain 9414237817**	Same	Same	Same

Time	**28.5.2013 Tuesday**	**29.5.2013 Wednesday**	**30.5.2013 Thursday**	**31.5.2013 Friday**	**03.06.2013 Monday**
Session-1 11.00. 12.15	Role of Judiciary in Protection **Justice S.N. Bhargava 9414044461**	Human Rights of Senior Citizens **(Single women) Dr. Deepa Jain 9414237817**	Right to education and Human Rights **Rampal Ji 9784592957 5110377**	Human Rights and Terrorism Special Reference to Kashmir **Prof. Bhawani Singh 9414061247**	Human Rights of Prisoners **Shri S.S. Bissa 9414150077**
Session-2 12.15 01.30	**Human Rights and North East States Prof. Bhawani Singh 9414061247**	Human Rights and Women **Ladkumari Jain 9414049983**	Human Rights and Elderly persons **Prof. K.L. Sharma 9314508277**	Development of Human Rights and Challanges before Human Right Commission **Justice S.N. Bhargava**	Human Rights of Prisoners **R.K. Saxena 9928140582**
Lunch 01.30-02.30					
Session-3 02.30 03.30	Visit of **Bajaj Nagar Police Station**	Research Methodology **Prof. Mardula Bhatnagar Raj. University 9414461054**	Visit of Kotwali Police Station	Human Rights of children Unicef	Visit to **Central Jail 2613851**
Session-4 03.30-05.00	Visit of **Bajaj Nagar Police Station**	Project Work	Project Work	Human Rights of children Unicef	Visit to **Central Jail 2613851**

Time	04.06.2013 Tuesday	05.06.2013 Wednesday	6.06.2013 Thursday	07.06.2013 Friday	10.06.2013 Monday
Session-1 11.00. 12.15	Human Rights of Single Women **Prof. Bhawani Singh 9414061247**	**Project Work**	Right to Decent Behavior **Prof. Ramesh Arora 9829010011**	Human Rights Trafficking **Kamal Adl., SP 9829216661**	Case Studies and Human Rights **Pro. R.C. Srivastava 9414075815**
Sessions-2 12.15- 01.30	Human Rights of people with Disabilities **Amita Agarwal 9829055075**	Visit to Hospital	Human Rights and Judicial Activism **Justice Dave 9829014993**	Disaster Management	Case Studies and Human Rights **Prof. R.C. Srivastava 9414075815**
Lunch 01.30- 02.30					
Session-3 02.30- 03.30	Visit of NGO **Surman Sansthan 2354272**	Health and Human Rights **Satyendra Chaturvedi 9414076449**	Visit to elderly homes	Visit of Pink city Press Club Interaction with Eminent Press Reporters and Correspondents **Neeraj Mehra 9829708129**	RTI Act, and Human Rights **Prof. R.K. Chobisa** **9414168624**
Session-4 3.30- 5.00	**Same**	**Challenges of Human Rights** **Prof. N.H. Gupta 9829134706**	Visit to NGO Mahaveer Viklang Sahayata Samitee Jaipur **Dr. D.R. Mehta 2520485**	Visit of Pink City Press Club	Project Work

Time	12.06.2013 Wednesday	13.06.2013 Thursday	14.06.2013 To 17.06.2013	18.06.2013	19.06.2013 Monday	20.06.2013 Tuesday	21.06.2013 Wednesday
Session-1 11.00. 12.15	Gender Sensitization **Muskan Smt. Mardul Bhasin 9414064964**	Human Rights **and Police Dr. M.K. Devrajan Hon'ble**	Project **work and Working on**	Project work	Experience Sharing Session with Previous Chairperson & members of the Commission	Presentation by Students	Fare-Well
Session-2 12.15-01.30	Media and Human Rights **Dr. Rajesh Vyas 9660200203**	Human Rights and Minorities **Sh. Mahir Azad 9414051799**	**Presentation/ Dissertation and**	Project work	Experience Sharing Session with Previous Chairperson & members of the commission	Valedictory	Ceremony at
Lunch 01.30-02.30							
Session-3 02.30-03.30	Project Work	Visit of Yaadgar Interaction with Traffic Police Personnel and Watching of Short Films and Road Accidents	**Field Visit**	Special Lecture by **Justice V.S. Dave**	Presentation by Students	Certificate Distribution	OTS
Session-4 03.50-05.00	Project Work	Visit of Traffic Park	-	Project Work	Presentation by students	Certificate Distribution	

श्री डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल व अन्य याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जारी निर्देश

1. गिरफ्तार करने और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सही दृश्यमान पहचान और अपने पदनाम सहित नामपट्‌टी धारण करनी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों की प्रविष्टियां जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते है, एक रजिस्टर में अभिलिखित की जानी चाहिये।
2. यह कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई सदस्य या उस क्षेत्र जहां से गिरफ्तारी की गई है, का कोई सम्मानीय व्यक्ति हो सकेगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर भी करेगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख अन्तर्विष्ट होगी।
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और जो किसी पुलिस शाखा या पूछताछ केन्द्रों या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाता है, किसी मित्र या नातेदार या उसे जानने वाले या उसका भला चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जब तक कि गिरफ्तार के ज्ञापन को अधिप्रमाणित करने वाला साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या कोई नातेदार न हो, यथासमय शीघ्र यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरूद्ध किया गया है।
4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान, उस जिले में विधिक सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घण्टे की कालावधि के भीतर–भीतर तार द्वारा वहां अधिसूचित किया जाना चाहिये, जहां गिरफ्तार व्यक्ति का निकटतम मित्र या नातेदार जिले या नगर से बाहर निवास करता हो।
5. गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, उसे अपनी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को देने का अधिकार है।
6. निरोध के स्थान पर व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिये, जो उस व्यक्ति के वाद मित्र के नाम को जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और विशिष्टियां, जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, को भी प्रकट करेगी।
7. गिरफ्तार व्यक्ति की, यदि वह ऐसा निवेदन करे, उसकी गिरफ्तारी के समय जांच भी की जानी चाहिए और गम्भीर और सामान्य चोटें, यदि उसके शरीर पर विद्यमान हो, उस समय अभिलिखित की जानी चाहिए। इस निरीक्षण ज्ञापन पर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाये।

8. गिरफ्तार व्यक्ति की, अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान प्रत्येक 48 घंटों में ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा की जायेगी जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त किये गये अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर हो। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल बनायेगा।

9. ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भिजवायी जायेगी।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। किन्तु पूछताछ की पूर्ण अवधि के दौरान नहीं।

11. समस्त जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने के 12 घंटों के भीतर–भीतर गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान के संबंध में सूचना दी जायेगी।

ईश्वर द्वारा निर्मित हवा–पानी की तरह सब चीजों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए।

– महात्मा गांधी

राज्य आयोग के कार्य

आयोग, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्–

(क) स्व–प्रेरणा से या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर–

(1) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की, या

(2) किसी लोकसेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा,

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा,

(ग) राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(घ) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं को अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(ङ) उन कारकों का जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी है, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते है, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा।

(च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा,

(छ) समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशकों, साधनों (मीडिया) सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरुकता को विकसित करेगा,

(ज) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा,

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

राज्य आयोग की शक्तियां

शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है–

1. साक्षियों को बुलाना तथा उनको परिक्षित करना एवं शपथ–पत्र पर उनकी परीक्षा करना।
2. किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना।
3. हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित करना।
5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन गठित करना।
6. अन्य कोई विहित प्रकरण।

आयोग यदि किसी व्यक्ति से सुसंगत बिन्दुओं पर सूचना चाहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 एवं 177 के अधीन ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा। किसी भी स्थान के निरीक्षण हेतु आयोग किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में निहित शक्तियां प्राप्त होगीं और वह किसी भी दस्तावेज का उद्‌धरण या प्रतिलिपि ले सकता है।

अनुसंधान हेतु आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सहमति से कर सकता है।

जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई भी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया गया है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकेगी तथा उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकेगी एवं उसकी परीक्षा कर सकेगी।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित कर सकेगी।

धारा 15 के उपबन्ध किसी अधिकारी या एजेन्सी के, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी बयान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किन्हीं बयानों के संबंध में लागू होते हैं।

अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उप–धारा (1) के अधीन किया गया है, जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करेगी तथा उस पर प्रतिवेदन आयोग को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विहित की जाएगी।

आयोग अभिकथित तथ्यों एवं उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में निकाले गये परिणामों यदि कोई हो, की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच (जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है, जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) करेगा, जो वह उचित समझेगा।

शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में यह विहित किया गया है कि आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। कार्य प्रणाली का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाता है।
2. कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 बनाए है।
3. आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आयोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई–शिविर व बैठकें भी आयोजित की जाती है।
4. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाः–परिवादों को किसी भी माध्यम से यथा स्वयं उपस्थित होकर, पत्र द्वारा, फैक्स द्वारा, तार द्वारा आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। समाचार–पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है। परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं है। आयोग परिवाद के विषय में अतिरिक्त सूचनाऐं जो आवश्यक समझता है, मंगा सकता है। आवश्यकतानुरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता है।
5. आयोग द्वारा साधारणतः ग्रहण नहीं करने योग्य परिवाद निम्न प्रकार हैः–
    1. अस्पष्ट या अनाम या अपठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले।
    2. किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित मामले।
    3. एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण।
    4. सिविल विवाद से संबंधित, जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि।
    5. सेना से संबंधित विवाद।
    6. श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले।
    7. आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो।
    8. जहां अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो।
    9. जहां मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।
    10. जहां मामला किसी न्यायिक अभिमत या आयोग के किसी विनिश्चय के अन्तर्गत आता हो।
    11. जहां आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित परिवाद की प्रति प्राप्त हो।
    12. जहां मामला आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हो।

परिवाद प्राप्त होते ही उनको वर्गवार छंटनी कर जांच हेतु संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। वर्गीकरण के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र– क अथवा ख में परिवाद भरे जाकर रजिस्ट्रीकरण अनुभाग को भेजे जाते हैं।

6. शिकायतों का पंजीयनः–

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रत्येक परिवाद के संबंध में जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण के वर्ष सहित प्रकरण संख्यांक, डायरी संख्यांक डाले जाते हैं। रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद यथासम्भव शीघ्र सात दिवस के अन्दर आयोग के समक्ष रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय के विशेष या साधारण आदेशों केअध्यधीन एकलपीठ, खण्डपीठ अथवा पूर्णपीठ द्वारा प्रकरण निपटाए जाते हैं।

प्रारम्भिक विचार के पश्चात्, यदि आयोग प्रकरण को खारिज करता है तो, परिवादी को सूचित किया जाता है। यदि परिवाद ग्रहण कर लिया जाता है या स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है तो नोटिस जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

आयोग की राय में जहां ऐसे व्यक्ति को जिसके आचरण की वह जांच करता है, या जहां उसकी राय में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूलता प्रभावित होनी सम्भाव्य है, अपने आधार के समर्थ में साक्षी यदि कोई हो, की प्रतिपरीक्षा के अवसर सहित, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है।

जांच के पश्चात् यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन रोकने की उपेक्षा की है तो आयोग उसके विरुद्ध अभियोजन या ऐसी कार्यवाही शुरू करने की अभिशंसा, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए जो भी आवश्यक हो, अनुरोध कर सकता है।

आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य/सदस्यों को, जिसे आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

वर्ष 2013–2014 (दिनांक 1.04.2013 से 31.03.2014) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित बैठक एवं कार्यशाला का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. <u>बैठक</u>

(a) दिनांक 21.5.2013 को आयोग द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियां (आयोग के सलाहकार मण्डल) के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न विषयों में तीन कोर ग्रुप बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

(b) दिनांक 29.01.2014 को आयोग के माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन की अध्यक्षता में मानवाधिकारों की जागरुकता के संदर्भ में आयोग के सलाहकार मण्डल में मानव अधिकार जागरुकता से संबंधित कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया।

(c) दिनांक 30.1.2014 को खनिज श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के संबंध में डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया।

2. <u>कार्यशाला</u>

(a) दिनांक 6.01.2014 व 7.01.2014 स्थानीय परिवहन ऑपरेटर्स के लिये Gender sensitization training एवं सेफ्टी ऑडिट कार्यशाला आयोजित की गई।

(b) दिनांक 28.03.2014 Creating awareness of human Rights among Journalists & Media विषय में कार्यशाला आयोजित की गई।

Rajasthan State Human Rights Commission
Hon'ble Acting Chairperson

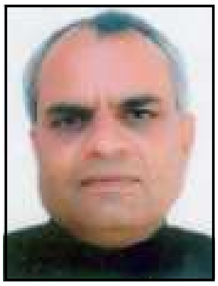

Name	:	**Shri H.R. Kuri**
Father's Name	:	Late Shri Tulsiram Kuri
Date of Birth	:	3rd March, 1951
Birth Place	:	Village-Somna, Distt. Nagaur
Wife's Name	:	Smt. Kamla Kuri
No. of Children	:	2 Sons
Education	:	B.Sc. LL.B.
Religion	:	Hindu

Career-

Year	*Details*
1976	Joined Rajasthan Judicial Service
1976-1989	Munsif Magistrate
1989-1991	Addl. Chief Judicial Magistrate
1991-1993	Chief Judicial Magistrate
1993	Promoted to Higher Judicial Services
1993-2000	Addl. District and Sessions Judge & Addl. Registrar, High Court
2000-June, 2002	Legal Advisor, RPSC
June 2002 to 20 Sept., 2002	Registrar (Classification & Vigilance)
20.09.2002 to 28.07.2004	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
2004	Judge, Labour & Industrial Tribunal, Kota
2004-2006	Director, Law, JDA, Jaipur
2006-2007	District & Sessions Judge, Sawai Madhopur
2007	Member Secretary, Rajasthan Legal Services Authority
2007-2008	District & Sessions Judge, Alwar
17.07.2008 to 31.03.2011	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
01.09.2011 to 14.06.2012	Hon'ble Member of Rajasthan State Human Rights Commission
14.06.2012	Hon'ble Acting Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission

Address :

B-3 (1/27), Gandhi Nagar, Jaipur-302015

Phone No. :

Office 91-141-2227565

Res. 91-141-2707214

Fax No. :

Office 91-141-2227738

E-mail : rshrc@raj.nic.in

Hon'ble Member
Dr. M.K. Devarajan

Dr. M.K. Devarajan, born on May 19, 1951, hails from an agricultural family in Changanacherry, dist. Kottayam, Kerala. He graduated from University of Kerala in 1971 in B.Sc. (Special) in Zoology. While in service, he completed MBA in HR from Indira Gandhi National Open University, Delhi, in 1997 and Ph. D. from Dept. of Psychology, University of Rajasthan in 2006. The subject for his doctoral thesis was 'Attitudinal Changes for Better Policing'.

After doing two 2 year stints in the Ministry of External Affairs and Canars Bank, he joined the Indian Police Service in 1977 and was allotted to Rajasthan cadre. Apart from a five year stint in the Govt. of India as Asst. Director in Intelligence Bureau, he served in Rajasthan where he has worked as Asst. Superintendent of Police in Sri Ganganagar, Kota City and Baran; Superintendent of Police in Anti Corruption Bureau and districts Jhalawar, Nagaur, and Tonk; Dy. Inspector General of Police in Bikaner Range and Anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Bikaner Range and anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Crime Branch and Intelligence Branch; Additional Director General of Police, Re-organization & Technical, Headquarters, Planning & Welfare, and Intelligence; and Director General of Police, Anti Corruption Bureau and Training. He superannuated from the post of Chairman & Managing Director, Rajasthan Small Scale Industries Corporation on May 31, 2011. He joined Rajasthan State Human Rights Commission as a Member on September 1, 2011.

Dr. Devarajan has been a member of National Police Mission since its inception in 2008. He was the Group Leader of Micro Mission-2 of the above Mission from Dec. 2008 to May, 2011 and continues as a member since then. He has submitted several reports on Community Policing to Government of India in that capacity. He was an Adjunct Faculty Member of BITs, Pilani, for the academic years 2007-08 and 2008-09.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वर्ष 2013-14

आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एवं अधिकारीगणों के कार्यालय/आवास/मोबाईल/फैक्स नम्बर

क्र. सं.	नाम	दूरभाष (का.)	फैक्स	दूरभाष/मो. (निवास)
1.	श्री एच.आर. कुड़ी माननीय अध्यक्ष	2227565	2227738	2707214 9829212199
2.	डॉ. एम. के. देवराजन माननीय सदस्य	2385102	2227738	2754275 9772511111
3.	श्री पी.आर. पण्डत	2227242	2227738	9928234834
4.	श्री सौरभ श्रीवास्तव महानिरीक्षक पुलिस	2227090	2227738	2357530 9001234444
5.	श्रीमती संचिता बिश्नोई उप सचिव	2385101	2227738	2622790 9414152450
6.	श्री सतवीर सिंह अति. पुलिस अधीक्षक	-	2227738	2353210 9784000175
5.	उप रजिस्ट्रार	2227183	2227738	-